प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2016-17

छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

छत्तीसगढ़ शासन

विभाग का नाम	-	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
भार साधक मंत्री	-	माननीय श्री केदार कश्यप
संसदीय सचिव	-	माननीय श्री अंबेश जांगड़े

मंत्रालय

अपर मुख्य सचिव	-	श्री एन.के. असवाल
सचिव	-	श्री आशीष कुमार भट्ट
संयुक्त सचिव	-	श्री डी.डी. कुंजाम
उपसचिव	-	श्रीमती अमृता बेक
वित्तीय सलाहकार	-	श्री तिलक कुमार सोरी

विभागाध्यक्ष

आयुक्त	-	श्री ईमिल लकड़ा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नया रायपुर (छ.ग.)
संचालक	-	श्री आशीष कुमार भट्ट आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायपुर

विषय-सूची

क्रमांक	विषय	पृष्ठ संख्या
	भाग—एक	
1	विभाग की संरचना	1
2	विभाग का परिचय	2-3
3	विभाग का दायित्व एवं कार्य	4
4	विभाग के अधीन गठित आयोग / मण्डल एवं अन्य समितियाँ	5-8
5	महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी	9-11
	भाग-दो	
6	विभागीय बजट 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 (नवंबर 2016 की स्थिति में)	12
7	विभाग द्वारा संचालित योजनाएँ 2014-15, 2015-16 एवं 2016-17 भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियों का तुलनात्मक विवरण	13-18
	भाग—तीन	
8	विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ	19-54
9	छत्तीसगढ़ राज्य अन्त्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम	55

10	वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन	56-57
11	अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना	58-59
12	यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम	60-61
	भाग–चार	
13	आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	62-67
14	आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण	68-70
	भाग–पांच	
15	अभिनव योजनाएँ	71-79
	भाग–छः	
16	आगामी सत्र के लिए प्रस्तावित नवीन योजना	80
	भाग–सात	
17	सारांश	81-82

भाग – एक

छत्तीसगढ़ का मानचित्र

विभाग की संरचना

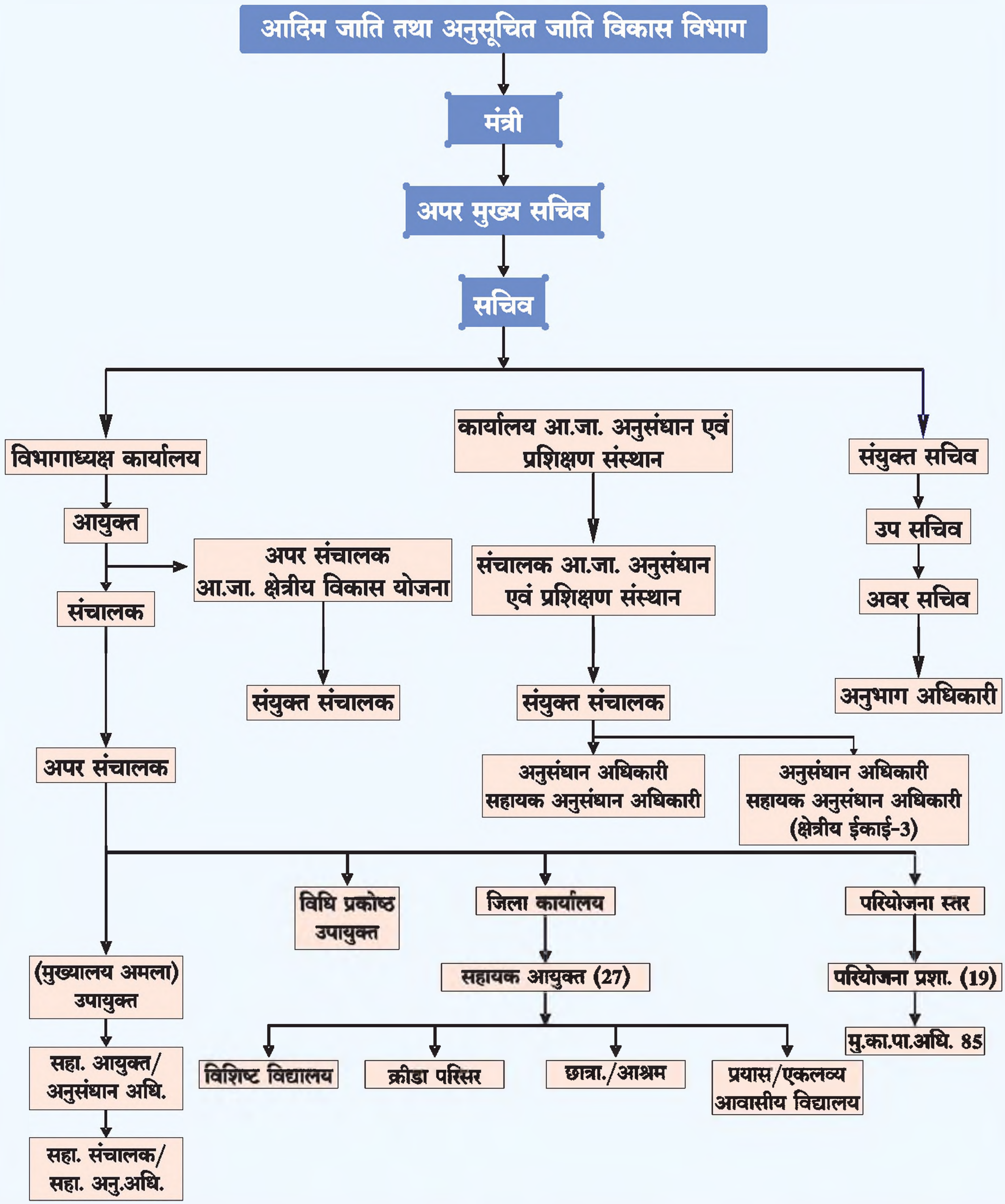

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्री
अपर मुख्य सचिव
सचिव
विभागाध्यक्ष कार्यालय
कार्यालय आ.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
संयुक्त सचिव
आयुक्त
अपर संचालक आ.जा. क्षेत्रीय विकास योजना
संचालक आ.जा. अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान
उप सचिव
संचालक
अवर सचिव
संयुक्त संचालक
संयुक्त संचालक
अनुभाग अधिकारी
अपर संचालक
अनुसंधान अधिकारी सहायक अनुसंधान अधिकारी
अनुसंधान अधिकारी सहायक अनुसंधान अधिकारी (क्षेत्रीय ईकाई-3)
विधि प्रकोष्ठ उपायुक्त
जिला कार्यालय
परियोजना स्तर
(मुख्यालय अमला) उपायुक्त
सहायक आयुक्त (27)
परियोजना प्रशा. (19)
मु.का.पा.अधि. 85
सहा. आयुक्त/ अनुसंधान अधि.
विशिष्ट विद्यालय
क्रीडा परिसर
छात्रा./आश्रम
प्रयास/एकलव्य आवासीय विद्यालय
सहा. संचालक/ सहा. अनु.अधि.

विभाग का परिचय

भारत के संविधान के अनुच्छेद-46, में सौंपे गए कर्तव्य "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों के अभिवृद्धि के लिए" संविधान के अनुच्छेद-244 एवं संविधान के अनुच्छेद-275 (1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद-164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग का गठन किया गया है।

भारत के संविधान में व्यक्त 'सामाजिक न्याय' के संकल्प ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को 'समानता के अधिकार' से संपन्न करते हुए उनकी प्रगति के रास्ते खोल दिए हैं।

संविधान की मंशा के अनुरूप आदिवासियों और अनुसूचित जाति के शैक्षणिक विकास एवं आर्थिक उन्नति की योजनाएँ बनीं। उन्हें क्रियान्वित कर संबंधित वर्गों को विकास-यात्रा में शामिल करने के निरंतर प्रयास हुए। इन प्रयासों के परिणाम भी सामने आए। साक्षरता का प्रतिशत बढ़ा है। शिक्षा के क्षेत्र में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदायों की विशिष्ट उपलब्धियाँ रेखांकित की जाने लगीं है। सामाजिक क्षेत्र में इन वर्गों की प्रतिष्ठा में लगातार वृद्धि हुई है। शासन-प्रशासन में इनकी सहभागिता सम्मानजनक रूप से बढ़ी है। फिर भी विकास की यह यात्रा और लंबी है। प्रगति के अनगिनत सोपान अभी और तय किए जाने है।

प्रशासनिक संरचना :-

विभाग की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत माननीय मंत्री जी के निर्देशन में विभाग के प्रशासनिक कार्यों के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण के दायित्वों का भी निष्पादन किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक विकास के लिए प्रतिबद्धता केवल आदिवासियों के विकास के लिए ही नहीं बल्कि उनके उत्पीड़न के उन्मूलन के लिए प्रयास भी करना है। साथ ही साथ यह विभाग आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए समाज के अन्य पिछड़े, शोषित एवं वंचित वर्गों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए कृत संकल्प हैं।

अ. मंत्रालय

मंत्रालय स्तर पर अपर मुख्य सचिव एवं सचिव का पद सृजित है। छत्तीसगढ़ राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासनिक कार्यों की व्यवस्था एवं अनुश्रवण से संबंधित समस्त प्रशासनिक विभागों के विकास कार्यक्रमों/ योजनाओं की समीक्षा की जाती है।

मंत्रालय स्तर पर अपर मुख्य सचिव एवं सचिव के अधीनस्थ विभागीय कार्यों के संपादन के लिए संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, वित्तीय सलाहकार तथा विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी कार्यरत हैं।

आदिम जाति और अनुसूचित जाति समुदायों के विकास की योजनाएँ तैयार कर उन्हें बेहतर ढंग से क्रियान्वित करने का दायित्व मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय का है। अन्य विकास

विभागों से समन्वय की भूमिका भी इस विभाग की है। अतः अनुसूचित वर्गों के समुचित विकास के संदर्भ में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग की दोहरी जिम्मेदारी है।

ब. विभागाध्यक्ष

छत्तीसगढ़ में आदिम जाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्गों के कल्याण हेतु एक विभागाध्यक्ष पद का सृजन किया गया है। विभाग के विभागाध्यक्ष आयुक्त/संचालक होते हैं। आयुक्त/संचालक मुख्यालय अमला एवं क्षेत्रीय अमला के मुख्य नियंत्रणकर्ता अधिकारी होते हैं। मुख्यालय स्तर पर आयुक्त के अधीनस्थ संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त तथा सहायक आयुक्त एवं अन्य अधीनस्थ अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं।

विधि प्रकोष्ठ :-

विधि प्रकोष्ठ में उच्चतम न्यायालय, उच्चन्यायालय, न्यायाधिकरणों में प्रस्तुत मामलों का प्रभारी अधिकारी नियुक्त कराने, प्रकरणों में जवाबदावा प्रस्तुत कराने, प्रकरणों का निपटारा कराने, सही समय पर शासन का पक्ष प्रस्तुत करने के साथ अनुश्रवण एवं समीक्षा के कार्य किए जाते हैं। विधि प्रकोष्ठ का प्रमुख उपायुक्त स्तर का अधिकारी होता है। माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर में होने के कारण यह कार्यालय भी बिलासपुर में रखे जाने का निर्णय लिया जाकर कार्यालय को रायपुर से बिलासपुर स्थानांतरित किया गया है।

स. जिला स्तर

छत्तीसगढ़ राज्य के सभी 27 जिलों में विभागीय कार्यक्रमों/योजनाओं के क्रियान्यवन हेतु विभागीय सहायक आयुक्त के पद स्वीकृत हैं। इनके द्वारा मुख्यतः जिले में आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति के विकास हेतु छात्रावास, आश्रम, स्कूल का प्रबंधन, अनुश्रवण एवं समीक्षा जिलाध्यक्ष के नियंत्रण में सम्पन्न किया जाता है। सहायक आयुक्त कार्यालय के अधीन जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, माडा पाकेट, लघु अंचल विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण होते हैं। प्रदेश के 85 विकास खण्ड आदिवासी विकास खण्ड घोषित हैं। इन विकास खण्डों में 85 मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत पदस्थ हैं। इसके अतिरिक्त राज्य में 09 माडा पॉकेट, 02 लघु अंचल तथा 06 विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण एवं 09 विशेष जनजाति प्रकोष्ठ संचालित हैं।

द. परियोजना स्तर

आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों में आदिवासी जनसंख्या के आधार पर एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं। एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना कार्यालय के प्रमुख परियोजना प्रशासक संयुक्त संचालक स्तर के होते हैं। राज्य में कुल 19 एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाएँ संचालित हैं।

विभाग का दायित्व एवं कार्य

- संविधान की पाँचवीं अनुसूची के अधिकारों और आदिवासी क्षेत्रों के हितों के संरक्षण के लिए प्रहरी के रूप में कार्य करना।
- अनुसूचित जाति/जनजाति के शैक्षणिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए योजनाओं का संचालन।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न विकास विभागों को बजट आवंटन उपलब्ध कराना, नोडल एजेन्सी के रूप में कार्य करना एवं योजनाओं का अनुश्रवण करना।
- विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का पर्यवेक्षण, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करना।
- पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण हेतु भारत सरकार के निर्देशानुसार कार्यक्रमों/योजनाओं का संचालन।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को अन्य सक्षम वर्गों के द्वारा शोषित एवं उत्पीड़ित किए जाने की स्थिति में शोषित वर्गों को संवैधानिक संरक्षण, राहत एवं पुर्नवास की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक वित्तीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था करने का दायित्व।

विभाग का कार्य :-

- विभागीय अमले से संबंधित समस्त प्रशासकीय कार्य।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास से संबंधित योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण।
- आदिम जाति, अनुसूचित जाति तथा पिछड़ा वर्ग के विकास की योजनाओं के लिए बजट आबंटन उपलब्ध कराना। मांग संख्या 15,33,41,49,64,66,68 एवं 82 के अंतर्गत आदिम जाति, अनसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक वर्ग के विकास की योजनाओं का क्रियान्वयन।
- आदिवासी उपयोजना तथा विशेष घटक योजना अंतर्गत विभिन्न विभागों को प्राप्त बजट आवंटन की निरंतर समीक्षा एवं योजनाओं का अनुश्रवण।
- विशेष केंद्रीय सहायता से संचालित योजनाओं का निर्माण, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन। केन्द्र प्रवर्तित एवं केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनाओं के संचालन का अनुश्रवण।
- विशेष पिछड़ी जनजाति समूहों के विकास के लिए योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन।
- अनुसूचित जाति, जनजाति के जाति प्रमाण-पत्रों का परीक्षण।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम-1955 एवं हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 के क्रियान्वयन की समीक्षा।
- आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केन्द्र के माध्यम से आदिवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास के अंतर्गत सतत् परिवर्तन कर नियमित अनुसंधान एवं समस्याओं का अनवरत आकलन कर वैधानिक समाधान के साथ आवश्यक सुझाव देना।

विभाग के अधीन गठित आयोग/मंडल एवं अन्य समितियाँ

1. जनजाति सलाहकार परिषद :-

संविधान की पाँचवीं अनुसूची के प्रावधान अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में समीक्षा हेतु मान. मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय आदिम जाति मंत्रणा परिषद् गठित है। वर्ष 2014 में परिषद् की एक बैठक दिनांक 22.07 2014 को सम्पन्न हुई। छ0ग0 शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्र0/एफ-20-2/2009/25-2 नया रायपुर दिनांक-27 जून 2014 के द्वारा आदिम जाति मंत्रणा परिषद् नियमावली 2006 के उप नियम-3 एवं 4 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए छ0ग0 राज्य के लिए जनजाति सलाहकार परिषद् का गठन किया गया था। जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

स.क्र.	नाम अधिकारी/सम्माननीय जनप्रतिनिधि	पद
1.	मान. मुख्यमंत्रीजी, छत्तीसगढ़ शासन	अध्यक्ष
2.	मान. श्री केदार कश्यप, मंत्री, आ.जा. तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं स्कूल शिक्षा विभाग	उपाध्यक्ष
3.	मान. श्री दिनेश कश्यप, सांसद, बस्तर	सदस्य
4.	मान. श्री विष्णुदेव साय, सांसद, रायगढ़	सदस्य
5.	मान. श्री विक्रम उसेंडी, सांसद कांकेर	सदस्य
6.	मान. सुश्री चम्पा देवी पावले, विधायक, भरतपुर-सोनहत	सदस्य
7.	मान. श्री राम सेवक पैकरा, विधायक, प्रतापपुर	सदस्य
8.	मान. श्री राजशरण भगत, विधायक, जशपुर	सदस्य
9.	मान. श्री रोहित कुमार साय, विधायक, कुनकुरी	सदस्य
10.	मान. श्री शिवशंकर पैकरा, विधायक, पत्थलगांव	सदस्य
11.	मान. श्रीमती सुनीती सत्यानंद राठिया, विधायक, लैलूंगा	सदस्य
12.	मान. श्री गोवर्धन सिंह मांझी, विधायक, बिन्द्रानवागढ़	सदस्य
13.	मान. श्री श्रवण मरकाम, विधायक, सिहावा	सदस्य
14.	मान. श्री महेश गागड़ा, विधायक, बीजापुर	सदस्य
15.	मान. श्री चिन्तामणी महाराज, विधायक, लुण्ड्रा	सदस्य
16.	मान. श्रीमती तेजकुंवर गोवर्धन नेताम, विधायक, मोहला-मानपुर	सदस्य
17.	मान. श्रीमती देवती कर्मा, विधायक, दंतेवाड़ा	सदस्य
18.	मान. श्री खेलसाय सिंह, विधायक, प्रेमनगर	सदस्य
19.	अपर मुख्य सचिव/सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आ.जा.तथा अनु.जा. विकास विभाग	सचिव

विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों से मनोनीत सदस्य उस समय तक परिषद् के सदस्य रहेंगे, जब तक कि वे विधानसभा के सदस्य रहेंगे, अन्य सदस्य परिषद् में उनके मनोनयन की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक परिषद् के सदस्य रहेंगे।

2. राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति :-

राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 23 सहपठित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम 1995 यथा संशोधन नियम, 2013 के नियम 16 के अंतर्गत दिनांक 17.07.2014 के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में 21 सदस्य राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति का पुनर्गठन किया गया है। पूर्व में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की बैठक दिनांक 28.05.2016 को माननीय मुख्यमंत्रीजी की अध्यक्षता में आयोजित की जा चुकी है। जिला स्तर पर कैलेण्डर वर्ष 2016 में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनीटरिंग समिति की 84 बैठकें आयोजित की गई है।

3. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग :-

राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम-1995 के प्रावधानों के अनुसार तीन सदस्यीय आयोग गठित है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष पद पर श्री जी.आर. राना दिनांक 07.07.2016 से मनोनीत हैं एवं दो सदस्य पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 127.21 लाख है, प्रावधानित राशि आयोग को जारी की जा चुकी है।

4. राज्य अल्पसंख्यक आयोग :-

राज्य के अधीन अल्पसंख्यकों को संवैधानिक प्रगति का मूल्यांकन, अल्पसंख्यक के विरूद्ध किसी भेदभाव के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं का अध्ययन, दूर करने के उपाय, अल्पसंख्यकों के सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक विषयों का अध्ययन, अनुसंधान, विश्लेषण के उद्देश्य के लिए राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1996 की धारा-3(2) के तहत अध्यक्ष एवं सदस्य का पद स्वीकृत है। जिसमें अध्यक्ष श्री सुरेन्द्र सिंह कैम्बो को नियुक्त किया गया है तथा दो सदस्य का मनोनयन किया गया है। वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधानित राशि रु. 191.45 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 150.00 लाख जारी की जा चुकी है।

5. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग :-

अन्य पिछड़ा वर्ग के जातियों की सतत् पहचान, खोजबीन तथा फर्जी जाति प्रमाण पत्रों को निरस्त करने, शासकीय सुविधाओं का लाभ प्रदान करने के लिए सुझाव देने तथा इस वर्ग के हितप्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग 1995 के प्रावधान अनुसार गठित किया गया वर्तमान में इसमें अध्यक्ष पद पर डॉ. श्री सियाराम साहू एवं अन्य 06

सदस्यों का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 119.87 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 100.00 लाख जारी की जा चुकी है।

6. राज्य अनुसूचित जाति आयोग :-

राज्य में अनुसूचित जाति के हित प्रहरी के रूप में कार्य करने हेतु अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। वर्तमान में आयोग के अध्यक्ष माननीय श्री रामजी भारती दिनांक 28.06.2016 से पदस्थ हैं एवं दो अन्य सदस्य पदस्थ हैं। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 119.31 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रूपए 100.00 लाख जारी की जा चुकी है।

7. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम :-

राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग के लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने हेतु अंत्यावसायी सहाकारी वित्त एवं विकास निगम संचालित है। प्रदेश के सभी जिलों में निगम की जिला इकाइयाँ कार्यरत हैं।

8. राज्य हज कमेटी :-

हज कमेटी एक्ट 2002 के प्रावधान अनुसार राज्य में हज समिति गठित है। हज कमेटी का मुख्य कार्य प्रदेश के हज यात्रियों के लिए सम्पूर्ण व्यवस्था करना, सेंट्रल हज कमेटी एवं विदेश मंत्रालय, भारत सरकार से समय-समय पर प्राप्त निर्देशों के अनुरूप हज यात्रियों की व्यवस्था, हज यात्रियों के आवेदन पत्र प्राप्त करना, पंजीयन, चयन, प्रशिक्षण, टीकाकरण, पासपोर्ट आदि तैयार करवाना है। वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर माननीय श्री सैय्यद सैफुद्दीन बबलु तथा 12 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 120.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 48.00 लाख जारी की जा चुकी है।

9. छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड :-

वक्फ बोर्ड अधिनियम 1995 के प्रावधान अनुसार छ.ग. राज्य वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। वक्फ बोर्ड का मुख्य कार्य मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान व दरगाह, ईदगाह की देखरेख, केन्द्रीय वक्फ बोर्ड अधिनियम-1995 के तहत् निर्देशों का पालन, मुतवल्लियों का चुनाव सम्पन्न करना। वक्फ बोर्ड में अध्यक्ष पद पर माननीय मोहम्मद सलीम अशरफी एवं 07 सदस्य है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 100.00 लाख का प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 100.00 लाख का आबंटन जारी की जा चुका है।

10. राज्य उर्दू अकादमी :-

राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 01.10.2003 द्वारा उर्दू अकादमी का गठन किया गया। अकादमी का कार्य छ.ग. में उर्दू भाषा, तालिम एवं उर्दू साहित्य के प्रोत्साहन संरक्षण के लिए आवश्यक प्रयत्न करना, नए रचनात्मक/आलोचनात्मक उर्दू साहित्य प्रकाशन, साहित्य सम्मेलन, परिचर्चा, गोष्ठियों, बीमार लेखकों को माली मदद करना आदि हैं। जनाब मो. अकरम कुरैशी अध्यक्ष के पद पर मनोनीत हैं एवं 16 सदस्यों का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 75.00 लाख प्रावधान है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 75.00 लाख आबंटन जारी किया जा चुका है।

11. वक्फ अधिकरण :-

वक्फ संपत्तियों संबंधी विषयों के निराकरण के लिए राज्य में वक्फ अधिकरण गठित है, पीठासीन अधिकारी की पदस्थापना कर ली गई है। वक्फ अधिकरण द्वारा कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पीठासीन अधिकारी के पद पर माननीय श्री प्रबोद टोप्पो अतिरिक्त जिला न्यायाधीश पदस्थ है एवं एक सदस्य का मनोनयन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु प्रावधानित राशि रुपए 54.26 लाख है, जिसके विरूद्ध राशि रुपए 45.00 लाख का आवंटन जारी किया जा चुका है।

12. विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण :-

छ.ग. राज्य में निवासरत् 05 विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए प्रदेश स्तर पर 6 विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण एवं 9 प्रकोष्ठ गठित है। अभिकरण स्तर पर गवर्निंग बाडी गठित है। जिसका अध्यक्ष संबंधित विशेष पिछड़ी जनजाति का सदस्य मनोनीत किया गया है। भारत सरकार के द्वारा प्रदेश की बैगा, पहाड़ी कोरवा, अबुझमाड़िया, कमार एवं बिरहोर जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है। ये जनजातियाँ राज्य के रायगढ़, जशपुर, बलरामपुर, सरगुजा, कोरिया, महासमुंद, गरियाबंद, राजनांदगांव, कांकेर, धमतरी, कोरबा, बिलासपुर, मुंगेली, कवर्धा, नारायणपुर जिलों में निवासरत है।

13. आवासीय विद्यालय समिति :-

भारत सरकार द्वारा निर्देशित राज्य के 16 एकलव्य आवासीय विद्यालयों के संचालन के लिए एक आवासीय विद्यालय समिति गठित है। मान.विभागीय मंत्री इस समिति के संचालक मंडल के पदेन अध्यक्ष तथा आयुक्त आदिम जाति तथा अनु. जाति विकास विभाग पदेन सचिव है।

महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जानकारी

1.	राज्य का क्षेत्रफल		135192 वर्ग कि.मी.
	1.1	राज्य का अनुसूचित क्षेत्र	81,861.88 वर्गकिमी.
	1.2	राज्य का आदिवासी उपयोजना क्षेत्र	88000 वर्गकिमी.
	1.3	राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल से प्रतिशत	65.12
2.	जनगणना (2011)		
	2.1	कुल जनसंख्या	255.45 लाख
	2.2	अनुसूचित जनजाति	78.22 लाख 30.62%
	2.3	अनुसूचित जाति	32.47 लाख 12.81%
3.	(अ) साक्षरता का प्रतिशत (वर्ष 2011)		
	3.1	औसत	70.28%
	3.2	पुरुष	80.27%
	3.3	महिला	60.24%
3.	(ब) अनुसूचित जनजाति की साक्षरता (वर्ष 2011)		
	3.1	औसत	59.09
	3.2	पुरुष	69.67
	3.3	महिला	48.76
3.	(स) अनुसूचित जाति की साक्षरता (वर्ष 2011)		
	3.1	औसत	70.76
	3.2	पुरुष	81.66
	3.3	महिला	59.86
4.	राजस्व जिला		27
	4.1	पूर्णतः अनुसूचित क्षेत्र में शामिल जिले बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा, कोण्डागांव, सूरजपुर, बलरामपुर सरगुजा, कोरिया, कोरबा, जशपुर।	13
	4.2	आंशिक रूप से आदिवासी उपयोजना/अनुसूचित क्षेत्र में शामिल शेष जिले गरियाबंद, बलौदाबाजार, बालोद, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर-चांपा, कबीरधाम	11

5.	आदिवासी विकासखंड	85
6.	एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना	19
7	माडा पाकेट	09
8.	लघु अंचल	02
9.	विशेष पिछड़ी जनजाति अभिकरण	06
10.	विशेष पिछड़ी जनजाति प्रकोष्ठ	09

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए संविधान के पांचवी अनुसूची के अंतर्गत घोषित अनुसूचित क्षेत्र

भारत सरकार के असाधारण राजपत्र भाग-दो, अनुभाग-तीन, उप अनुभाग (1) दिनांक 20 फरवरी वर्ष 2003 छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित अनुसूचित क्षेत्र परिभाषित किए गए हैं।

छत्तीसगढ़

1. सरगुजा जिला (वर्तमान में सरगुजा, बलरामपुर व सूरजपुर जिला)
2. कोरिया जिला
3. बस्तर जिला (वर्तमान में बस्तर, नारायणपुर व कोण्डागांव जिला)
4. दंतेवाड़ा जिला (वर्तमान में दंतेवाड़ा, बीजापुर व सुकमा जिला)
5. कांकेर जिला
6. कोरबा जिला
7. जशपुर जिला
8. बिलासपुर जिले के मरवाही, गौरेला-1 एवं गौरेला-2 आदिवासी विकास खण्ड सामुदायिक विकासखंड का कोटा राजस्व निरीक्षक खंड।
9. दुर्ग जिले (वर्तमान में बालोद जिला) में डौण्डी आदिवासी विकासखंड।
10. राजनांदगांव जिले में चौकी, मानपुर और मोहला आदिवासी विकासखंड।
11. रायपुर जिले (वर्तमान में गरियाबंद जिला) में गरियाबंद, मैनपुर और छुरा आदिवासी विकास खंड।
12. धमतरी जिले में नगरी (सिहावा) आदिवासी विकासखंड।
13. रायगढ़ जिले में धरमजयगढ़, घरघोड़ा, तमनार, लैलूंगा और खरसिया आदिवासी विकासखंड।

प्रदेश के आदिवासी उपयोजना क्षेत्र निम्नानुसार हैं :-

क्र.	जिला	परियोजना	माडा	लघु अंचल
1.	बस्तर	1. जगदलपुर		
2.	कोण्डागांव	2. कोण्डागांव		
3.	नारायणपुर	3. नारायणपुर		
4.	कांकेर	4. भानुप्रतापपुर		
5.	दन्तेवाड़ा	5. दन्तेवाड़ा		
6.	सुकमा	6. कोन्टा		
7.	बीजापुर	7. बीजापुर		
8.	गरियाबन्द	8. गरियाबन्द		
9.	बलौदाबाजार		1. बालौदाबाजार	1. धुरीबंधा
10.	धमतरी	9. नगरी	2. गंगरेल	
11.	महासमुंद		3. महासमुंद-1 4. महासमुंद-2	
12.	बालोद	10. डोण्डीलोहारा		
13.	राजनांदगांव	11. राजनांदगांव	5. नचनियां	2. बछेराभाटा
14.	कबीरधाम		6. कबीरधाम	
15.	सरगुजा	12. अंबिकापुर		
16.	सूरजपुर	13. सूरजपुर		
17.	बलरामपुर	14. पाल		
18.	कोरिया	15. बैकुण्ठपुर		
19.	कोरबा	16. कोरबा		
20.	बिलासपुर	17. गौरेला		
21.	जांजगीर-चांपा		7. रूगजा	
22.	रायगढ़	18. धरमजयगढ़	8. गोपालपुर, 9. सारंगढ़	
23.	जशपुर	19. जशपुरनगर		

भाग – दो

विभागीय बजट

विभागीय बजट (2014-2015)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आदिवासी उपयोजना	252289.61	203553.39	80.68
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	30095.81	18680.34	62.07
3	अन्य पिछडा वर्ग	22733.90	19001.47	83.58
4	अन्यान्य बजट अनु0जनजाति	138912.40	136858.94	98.52
5	अन्यान्य बजट अनु0जाति	9652.40	7434.25	77.02
	योग-	453684.12	385528.39	84.98

विभागीय बजट (2015-2016)

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आदिवासी उपयोजना	246531.21	173125.53	70.22
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	37651.70	20174.40	53.58
3	अन्य पिछडा वर्ग	23849.40	15786.66	66.19
4	अन्यान्य बजट अनु0जनजाति	156029.45	146106.00	93.64
5	अन्यान्य बजट अनु0जाति	3437.80	2690.61	78.27
	योग-	467499.56	357883.20	76.55

विभागीय बजट (2016-2017) दिसम्बर 2016 की स्थिति में

क्रमांक	योजना	बजट प्रावधान	व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2	3	4	5
1	आदिवासी उपयोजना	124767.96	42184.23	33.81
2	अनुसूचित जाति उपयोजना	29317.07	11055.37	37.71
3	अन्य पिछडा वर्ग	21074.19	11072.62	52.54
4	अन्यान्य बजट अनु0जनजाति	31562.29	16827.48	53.32
5	अन्यान्य बजट अनु0जाति	3499.88	2099.82	60.00
	योग-	210221.39	83239.52	39.60

विभाग द्वारा संचालित विकास योजनाएँ

(अ) राज्य योजनाएँ (अनुसूचित जनजाति)

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2014–15				वर्ष 2015–16				वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2015 की स्थिति में)			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आश्रम शाला योजना	18756.29	15857.30	छात्र/छात्राएँ	77449	17978.27	6238.46	छात्र/छात्राएँ	73387	20993.31	8456.04	छात्र/छात्राएँ	72665
2	छात्रावास योजना	17457.33	12977.00	छात्र/छात्राएँ	63755	18292.70	8827.27	छात्र/छात्राएँ	62205	21399.24	8635.21	छात्र/छात्राएँ	57916
3	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	5907.10	4321.86	नियमित 30 संस्था	नियमित 30 संस्था	7265.00	5037.62	नियमित 30 एकमुश्त 135	नियमित 30 एकमुश्त 135	1296.00	1497.23	नियमित 11 संस्था	नियमित 11 संस्था
4	विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाओं का संचालन	1615.96	1410.59	छात्र/छात्राएँ	5006	1216.45	1160.68	छात्र/छात्राएँ	—	2423.55	1544.75	—	—
5	मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना	900.00	750.04	छात्र/छात्राएँ	863	925.00	692.99	छात्र/छात्राएँ	791	925.00	207.01	छात्र/छात्राएँ	741
6	छात्रावास/आश्रम एवं शाला भवनों का निर्माण	17457.37	12977.00	200 कार्य	110 कार्य	18292.70	8827.27	200 कार्य	110 कार्य	10900.00	1276.05	476 कार्य	34 कार्य
7	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	3000.00	3000.00	छात्र/छात्राएँ	136542	0.00	0.00	छात्र/छात्राएँ	0.00	0.00	0.00	छात्र/छात्राएँ	0
8	शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार एवं स्व. डॉ भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान	7.50	4.50	व्यक्ति/संस्था	02 पुरस्कार	7.50	4.50	व्यक्ति/संस्था	02 पुरस्कार	9.00	4.50	व्यक्ति/संस्था	02 पुरस्कार
9	आदिवासी अन्वेषण संस्था	190.50	120.03	वेतन भत्ते	वेतन भत्ते	746.00	419.25	वेतन भत्ते	वेतन भत्ते	—	—	—	—
10	छात्र भोजन सहाय योजना	653.00	552.91	छात्र/छात्राएँ	13005	865.30	732.83	छात्र/छात्राएँ	13593	865.30	251.14	छात्र/छात्राएँ	11758
11	कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना	0.00	0.00			5.00	0.00			5.00	0.00		
12	विशेष शिक्षण केन्द्र ट्यूशन योजना	175.00	111.98	छात्र/छात्राएँ	7270	175.00	88.00	छात्र/छात्राएँ	31597	175.00	—	छात्र/छात्राएँ	
13	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंर्तगत छात्रावासियों को खाद्यान्न	3303.00	738.15	—	—	2.00	0.00	—	—	1749.00	8.58	—	—
14	युवा कैरियर निर्माण योजना	311.20	256.10	छात्र/छात्राएँ	172	370.30	262.37	छात्र/छात्राएँ	146	458.60	121.20	छात्र/छात्राएँ	215
15	मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना	862.90	513.71	छात्र/छात्राएँ	1527	999.30	710.52	छात्र/छात्राएँ	2076	1060.70	275.60	छात्र/छात्राएँ	2071
16	आर्य भट्ट वाणिज्य/विज्ञान विकास केन्द्र	0.00	0.00	—	0.00	112.00	99.00	छात्राएँ	329.00	125.00	101.00	छात्राएँ	384

(अ) राज्य योजनाएँ (अनुसूचित जाति)

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2014–15				वर्ष 2015–16				वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2015 की स्थिति में)			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	आश्रम शाला योजना	1524.37	1524.37	छात्र/छात्राएँ	2987	1495.89	794.83	छात्र/छात्राएँ	4428	1558.85	621.28	छात्र/छात्राएँ	2853
2	अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	503.00	334.29	नियमित 03 संस्था	नियमित 03 संस्था	560.00	440.00	नियमित 03 एकमुश्त 31	नियमित 03 एकमुश्त 31	575.50	120.66	नियमित 01 संस्था	नियमित 01 संस्था
3	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	2600.00	2600.00	छात्र/छात्राएँ	88965	2550.00	1544.77	छात्र/छात्राएँ	87144	2550.00	1657.50	छात्र/छात्राएँ	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
4	छात्रावास योजना	5586.23	4142.59	छात्र/छात्राएँ	14874	6317.50	2871.75	छात्र/छात्राएँ	14459	7303.23	2864.39	छात्र/छात्राएँ	14190
5	आगमन भत्ता	50.00	44.83	—	—	0.00	0.00	—	—	0.00	0.00	—	—
6	छात्र भोजन सहाय योजना	224.00	177.34	छात्र/छात्राएँ	4128	269.00	124.60	छात्र/छात्राएँ	4336	269.00	78.25	छात्र/छात्राएँ	4532
7	मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने की योजना	320.00	292.88	छात्र/छात्राएँ	70	320.00	280.25	छात्र/छात्राएँ	338	320.00	71.10	छात्र/छात्राएँ	320
8	खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंर्तगत छात्रावासियों को खाद्यान्न	732.00	732.00	—	—	1.00	0.00	—	—	249.00	0.00	—	—
9	युवा कैरियर निर्माण योजना	95.60	94.50	छात्र/छात्राएँ	102	120.20	108.69	छात्र/छात्राएँ	105	161.90	26.20	छात्र/छात्राएँ	130

अन्य पिछडा वर्ग

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2014–15				वर्ष 2015–16				वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2015 की स्थिति में)			
		बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	बजट प्रावधान	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति	8800.00	8800.00	छात्र/छात्राएँ	247861	9000.00	8968.80	छात्र/छात्राएँ	246443.00	15000.00	9750.00	छात्र/छात्राएँ	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन

(ब) केन्द्र प्रवर्तित योजना

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2014–15					वर्ष 2015–16						वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2016 की स्थिति में)					
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	स्वरोजगार	600.00	2759.19	1143.62	हितग्राही	—	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोशित	1600.00	1276.14	550.00	हितग्राही	—		1600.00				
2	क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्व राशि	882.00		1163.86	निर्माण कार्य	—		1890.00		726.14	निर्माण कार्य	—		1890.00				
1	नागरिक अधिकार एवं संरक्षण प्रकोष्ठ अंर्तगत प्रचार–प्रसार	44.00	246.38	5.36	—	—	अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना	45.00	100.00	7.74	—	—	अनुसूचित जाति के लिए केन्द्र प्रवर्तित योजना	56.75	200.00	7.65	—	—
2	अस्पृश्यता निवारणार्थ आयोजन	22.00		15.70	शिविर	25		24.00		10.40	शिविर	19		25.00		15.00	शिविर	19
3	अ.जा./अ.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम पुनर्वास	445.00		333.07	हितग्राही	621		446.00		141.45	हितग्राही	531		445.00		229.94	हितग्राही	191
4	अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना	40.00		33.05	दंपत्ति	80	—	80.00	—	84.45	दंपत्ति	170	—	80.00		32.79	दंपत्ति	123
5	छात्रावास आश्रम भवन निर्माण (64)	0.00	0.00	0.00	—	12 कार्य (पूर्व वर्षो के अपूर्ण कार्य)	बाबू जगजीवन राव छात्रावास योजना	150.00	0.00	0.00	—	—	बाबू जगजीवन राव छात्रावास योजना	150.00	0.00	0.00	—	—
6	छात्रावास आश्रम भवन निर्माण (41/4202) एकीकृत अम्ब्रेला योजना	1200.00	0.00	0.00	—	15 कार्य (पूर्व वर्षो के अपूर्ण कार्य)	अंब्रेला योजना	1200.00	0.00	0.00	—	—	अंब्रेला योजना	3500.00	1221.74	1221.74	13 कार्य	—
7	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	1372.00	0.00	383.46	वेतन भत्ते आदि		आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	1046.40	0.00	0.00	—	—	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	1.00	0.00	0.00		
8	छात्रावास भवन निर्माण (66/4225)	700.00	700.00	630.00	10 कार्य	—		0.00	0.00	0.00	—	—		—	—	—	—	—
9	आदिवासी अन्वेषण संस्था	190.50	0.00	190.50	—	—		0.00	0.00	0.00	योजना बंद							
10	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति (प्री–मैट्रिक)	659.87	660.94	660.94	छात्र/छात्राएँ	19891	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति	900.00	0.00	0.00	छात्र/छात्राएँ	—	अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को छात्रवृत्ति (प्री–मैट्रिक)	0.00	0.00	0.00	छात्र/छात्राएँ	कार्यवाही प्रक्रियाधीन
11	अल्पसंख्यक बहुउद्देशीय विकास	1446.00	1442.89	1442.89	—	—		1550.00	0.00	0.00				1414.00	0.00	0.00		
12	प्रधान मंत्री आदर्श ग्राम योजना	0.00	0.00	0.00	—	—		4100.00	2100.00	54.00	100 ग्राम	100 ग्राम	—	4100.00	0.00	1560.00	100 ग्राम	100 ग्राम

आदिवासी उपयोजना-बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

आदिवासी उपयोजना		
वर्ष	बजट प्रावधान	(राशि करोड़ में) व्यय
2014-15	2522.89	2035.53
2015-16	2465.31	1692.78
2016-17 (दिसम्बर की स्थिति में)	1247.68	421.84

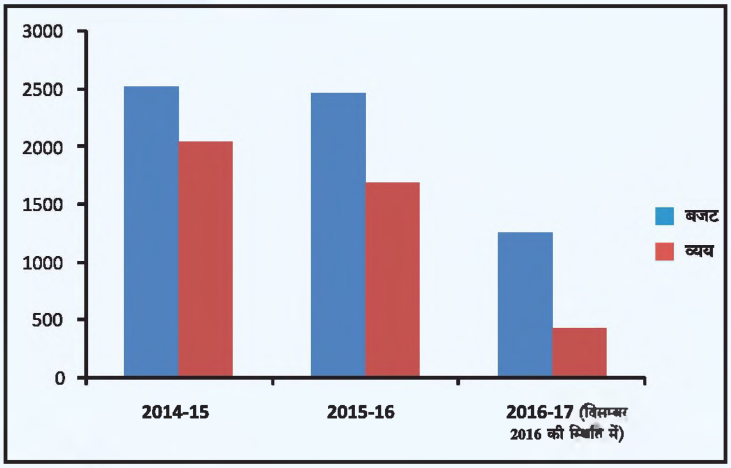

अनुसूचित जाति उपयोजना-बजट प्रावधान एवं व्यय की स्थिति

अनुसूचित जाति उपयोजना		
वर्ष	बजट प्रावधान	(राशि करोड़ में) व्यय
2014-15	300.95	186.80
2015-16	376.52	202.03
2016-17 (दिसम्बर की स्थिति में)	293.17	110.55

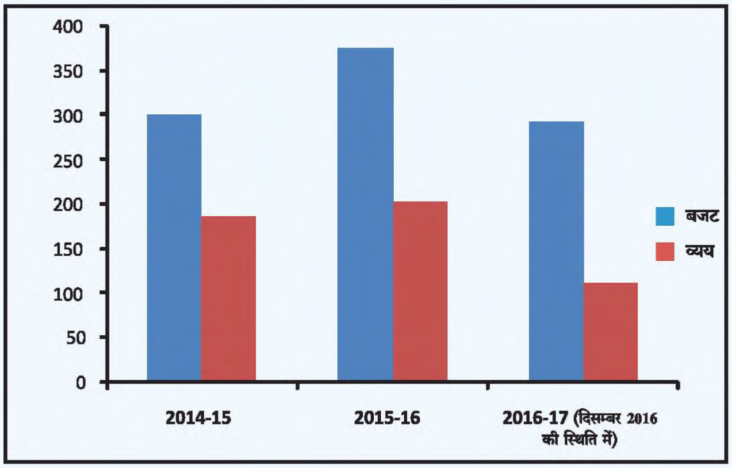

(स) विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोजना)

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2014–15					वर्ष 2015–16						वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2016 की स्थिति में)					
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आदिवासी अंचलों में स्थानीय विकास कार्य	41.80	15.00	15.00	21 कार्य	21 कार्य	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोशित योजनाऐं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	18020.49	9989.12	1941.09	1349 कार्य	322 कार्य	वि ेश केन्द्रीय सहायता से पोशित योजनाऐं से स्थानीय विकास कार्यक्रम	17477.20	7908.61	—	—	—
2	विशेष पिछड़ी जनजाति समूह अभिकरण	715.00	150.80	150.80	205 कार्य	205 कार्य												
3	एकीकृत आदिवासी परियोजनाओं में स्थानीय विकास कार्यक्रम	11301.50	8377.98	5108.67	532 कार्य	532 कार्य												
4	माड़ा क्षेत्रों में स्थानीय विकास कार्यक्रम	1074.70	1283.52	528.88	155 कार्य	155 कार्य												
4	वन ग्रामों का विकास	10.00	0.00	0.00														

विशेष केन्द्रीय सहायता (आदिवासी उपयोजना)

(राशि लाखों में)

क्रं.	योजना का नाम	वर्ष 2014–15					वर्ष 2015–16						वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2016 की स्थिति में)					
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	स्वरोजगार	600.00	2759.19	1143.62	हितग्राही	—	विशेष केन्द्रीय सहायता से पोशित योजनाऐं से	1600.00	1276.14	550.00	हितग्राही	—		1600.00				
2	क्षेत्रीय विकास के लिए अनाबद्ध राशि	882.00		1163.86	निर्माण कार्य	—		1890.00		726.14	निर्माण कार्य	—		1890.00				

केन्द्रीय क्षेत्रीय योजना

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2014-15					वर्ष 2015-16						वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 की स्थिति में)					
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्तियां (अनु.जा.)	7205.70	6763.81	6763.81	छात्र/छात्राएँ	136542		8500.00	6353.10	6353.10	छात्र/छात्राएँ	127729		4400.00	0.00	0.00	छात्र/छात्राएँ	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
2	व्यवसायिक प्रशिक्षण शिक्षा अन्य	0.00	0.00	0.00	—	—		0.00	0.00	0.00	—	—		—	—	—	—	—
3	पो.मै.छात्रवृत्ति (अ.जा.)	3126.21	2535.00	2535.00	छात्र/छात्राएँ	88965		2500.00	628.00	628.00	छात्र/छात्राएँ	87144		2615.42	190.00	190.00	छात्र/छात्राएँ	स्वीकृति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन
4	अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	540.00	0.00	0.00	छात्र/छात्राएँ	—		600.00	0.00	0.00	—	—		1.00	0.00	0.00	—	—
5	आदिवासी संस्कृति का संवर्धन एवं विकास	30.00	30.00	30.00	—	—		180.00	119.80	119.80	—	—		—	—	—	—	—
6	आदिवासी विशेष पिछड़े समूह	2362.80	2212.02	1664.16	19948	14743		2500.00	1809.65	1115.34	—	—		2750.00	—	—	—	—
7	वन बंधु कल्याण योजना	0.00	1000.00	637.00	34 कार्य	16 कार्य		2000.00	1384.50	0.00	6 कार्य	—		2135.00	—	—	—	—
	अनु. जाति छात्रों को प्रावीण्य में उन्नयन	16.00	0.00	0.00	—	—					—	—		—	—	—	—	—
8	अल्पसंख्यक मैट्रिक कम मीन्स छात्रवृत्ति	195.00	2.65	2.65	छात्र/छात्राएँ	—		215.00	0.00	0.00	—	—		7.00	0.00	0.00	—	—

संविधान के अनुच्छेद 275(1) एवं अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता

(राशि लाखों में)

क्र.	योजना का नाम	वर्ष 2014-15					वर्ष 2015-16						वर्ष 2016-17 (दिसम्बर 2016 की स्थिति में)					
		बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि	योजना का नाम	बजट प्रावधान	केन्द्र से प्राप्त राशि	व्यय	भौतिक इकाई	भौतिक उपलब्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	आदिवासी विद्यालय समिति को अनुदान 275 (1)	1538.20	1763.43	1598.42	3520 विद्यार्थी	3520 विद्यार्थी	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1)	3228.56	2409.70	1670.52	4181 विद्यार्थी		आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1)	3901.88	1611.91	—	—	—
2	आदिवासी क्षेत्रों में सुविधाओं का विस्तार 275 (1)	11243.50	9344.58	7570.59	646 कार्य	646 कार्य		12298.69	9494.61	862.05	123 कार्य			11064.90	6447.92	—	—	—
3	छात्रावास/आश्रम	3500.00	0.00	0.00	—	—		4000.00	0.00	0.00	—	—		3500.00	3500.00	—	—	—

भाग – तीन

विभाग के द्वारा संचालित प्रमुख योजनाएँ

- विभागीय छात्रावासों का संचालन
- विभागीय आश्रमों का संचालन
- ऑनलाइन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति
- अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति
- आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना
- छात्र भोजन सहाय योजना
- छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना
- स्वस्थ तन-स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना
- मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना
- एकलव्य आवासीय विद्यालय/विशिष्ट विद्यालय
- क्रीड़ा परिसर
- अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को राज्य अनुदान
- स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान
- युवा कैरियर निर्माण योजना
- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग की युवतियों/युवकों के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन सुविधा
- हॉस्पिटैलिटी एवं हॉटल मैनेजमेंट प्रशिक्षण योजना
- अनु.ज.जा.एवं अनु.जा. के युवाओं को निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना
- रविदास चर्मशिल्प योजना
- अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम-1989 अंतर्गत राहत योजना
- आदिवासी/अनु.जाति राहत योजना
- मैनुअल स्केवेंजर्स एक्ट का क्रियान्वयन
- प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना
- सम्मान एवं पुरस्कार
- लोककला महोत्सव
- आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना
- जनजातियों के पूजा स्थल (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास

विभाग द्वारा संचालित छात्रावास/आश्रमों की जानकारी

शैक्षणिक सत्र 2016-17 की स्थिति में
छात्रावास/आश्रम-समस्त वर्ग

अनु. क्र.	वर्ग	छात्रावास/आश्रमों की संख्या				स्वीकृत सीट्स
		प्री. मैट्रिक	पोस्ट मैट्रिक	आश्रम	योग	
1.	अनुसूचित जनजाति	1288	301	1175	2764	162692
2.	अनुसूचित जाति	341	90	51	482	25441
3.	अन्य पिछड़े वर्ग	08	19	0	27	1450
	योग	**1637**	**407**	**1226**	**3273**	**189583**

अनुसूचित जनजाति छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2016-17

छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
पोस्ट मैट्रिक	151	150	301	9025	8980	18005
प्री-मैट्रिक	880	408	1288	43357	21590	64947
योग	**1031**	**558**	**1589**	**52382**	**30570**	**82952**

अनुसूचित जाति छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2016-17

छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
पोस्ट मैट्रिक	48	42	90	2900	2480	5380
प्री-मैट्रिक	197	144	341	8970	7326	16296
योग	**245**	**186**	**431**	**11870**	**9806**	**21676**

नोट :- **प्री. मैट्रिक छात्रावास एवं आश्रमों में प्रवेशित छात्र/छात्राओं को रु. 800/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रु. 850/- प्रतिमाह की दर से वर्ष 2016-17 से शिष्यवृत्ति भुगतान किया जा रहा है।**

अनुसूचित जनजाति आश्रम

शैक्षणिक सत्र 2016-17

आश्रम का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
माध्यमिक आश्रम	33	50	83	3400	8060	11460
प्राथमिक आश्रम	676	416	1092	43530	24750	68280
योग	**709**	**466**	**1175**	**46930**	**32810**	**79740**

अनुसूचित जाति आश्रम

शैक्षणिक सत्र 2016-17

आश्रम का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
माध्यमिक आश्रम	01	02	03	50	800	850
प्राथमिक आश्रम	24	24	48	1465	1450	2915
योग	**25**	**26**	**51**	**1515**	**2250**	**3765**

पिछड़ा वर्ग छात्रावास

शैक्षणिक सत्र 2016-17

छात्रावास का नाम	कुल संचालित छात्रावासों की संख्या			स्वीकृत सीट्स		
	बालक	कन्या	योग	बालक	कन्या	योग
पोस्ट मैट्रिक	08	11	19	400	650	1050
प्री मैट्रिक	03	05	08	150	250	400
योग	**11**	**16**	**27**	**550**	**900**	**1450**

भवन विहीन आश्रम / छात्रावास की संख्यात्मक जानकारी वर्ष 2016-17

अनुसूचित जनजाति

क्रमांक	संस्था का प्रकार	कन्या	बालक	योग
1	2	3	4	5
01	आश्रम शाला	32	110	**142**
02	प्री.मै. छात्रावास	101	173	**274**
03	पो.मै. छात्रावास	61	84	**145**
	योग-	194	367	561

अनुसूचित जाति

क्रमांक	संस्था का प्रकार	कन्या	बालक	योग
1	2	3	4	5
01	आश्रम शाला	06	05	**11**
02	प्री.मै. छात्रावास	31	30	**61**
03	पो.मै. छात्रावास	14	15	**29**
	योग-	51	50	101

अन्य पिछड़ा वर्ग

क्रमांक	संस्था का प्रकार	कन्या	बालक	योग
1	2	3	4	5
01	पो.मै. छात्रावास	05	05	**10**
	योग-	05	05	10

विभाग द्वारा संचालित प्रमुख योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी

1. शैक्षणिक गतिविधियाँ :-शिक्षा संबंधी सांख्यिकीय जानकारी

विभाग द्वारा संचालित शैक्षणिक संस्थाओं की सांख्यिकीय जानकारी निम्नानुसार है :-

संस्था का नाम	संख्या	प्रवेशित छात्र/छात्रा संख्या
गुरुकुल विद्यालय (आवासीय)	01	271
खेल परिसर (आवासीय)	13	1300
आदर्श एकलव्य आवासीय विद्यालय	16	3520
कुल योग	30	5091

ऑन-लाईन पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के दौरान आर्थिक सहयोग प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शासन द्वारा संचालित की जा रही है। छात्रवृत्ति का समय पर स्वीकृति एवं भुगतान सुनिश्चित करने एवं इसके मॉनीटरिंग करने में विभाग को अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता था, इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों एवं पालकों को समय पर एवं सही छात्रवृत्ति न मिलने की शिकायतें आती रहती थी।

उपरोक्त समस्याओं के निराकरण हेतु वर्ष 2012-13 से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की पूरी प्रक्रिया का कम्प्यूटराइजेशन किया जाकर आनलाईन आवेदन एवं स्वीकृति की व्यवस्था के माध्यम से छात्रवृत्ति योजना को पारदर्शी बनाया गया है। इस हेतु विभागीय वेबसाइट (www.mpsc.mp.nic.in) तैयार किया गया है जिसमें विद्यार्थियों द्वारा आनलाइन आवेदन करके बायोडाटा की प्रविष्टि एक बार करने के पश्चात् उसे पूरे अध्ययनकाल मे छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी और प्रतिवर्ष नये आवेदन प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान प्राप्त करने के लिए विद्यार्थियों को 'शिक्षा संगी कार्ड' आबंटित किए गए थे। उक्त कार्ड में छात्रवृत्ति की राशि जमा होने की सूचना विद्यार्थियों को मोबाईल पर SMS से दी जाती थी। उक्त कार्ड का वितरण शिक्षा-सत्र 2012-13 से 2014-15 तक किया गया था। उक्त कार्ड की आधार नंबर से सीडिंग संभव नहीं होने के कारण वर्ष 2015-16 से सभी विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति उनके बैंक एकाउंट में ही स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया है।

वर्ष 2013-14 में लगभग 4.21 लाख विद्यार्थियों को लगभग राशि रू. 182.18 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2014-15 में 4.73 लाख विद्यार्थियों को लगभग 199.70 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है।

सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश दिनांक 10.03.2015 के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत वर्ष 2015-16 से कक्षा 11वीं एवं 12वीं की छात्रवृत्ति का संचालन स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किया जा रहा है। कक्षा 12वीं से उच्चतर कक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु छात्रवृत्ति संचालन का कार्य पूर्व की भांति विभाग द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2015-16 में 4.61 लाख विद्यार्थियों को लगभग 205.24 करोड़ की छात्रवृत्ति का वितरण किया गया है। वर्ष 2016-17 में विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति स्वीकृत की कार्यवाही प्रक्रियाधीन भी है।

विगत तीन वर्षों के छात्रवृत्ति स्वीकृति एवं भुगतान का रेखा चित्र प्रदर्शन निम्नानुसार है :-

SC Post Matric scholarship			ST Post Matric scholarship			OBC Post Matric scholarship		
Year	Students	Amount (in lakhs)	Year	Students	Amount (in lakhs)	Year	Students	Amount (in lakhs)
2013-14	80476	4525.00	2013-14	124419	5644.00	2013-14	216814	8049.00
2014-15	88965	4933.79	2014-15	136542	6215.79	2014-15	247861	8820.48
2015-16	87144	5038.64	2015-16	127729	6203.10	2015-16	246443	9283.00

SC Post Matric Scholarship-Students

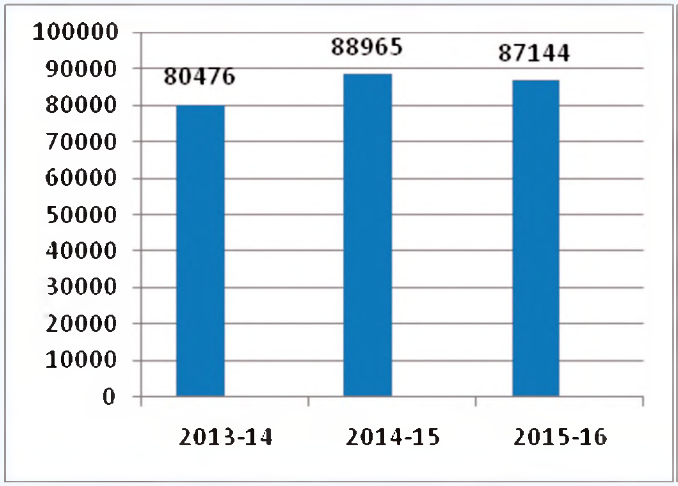

SC Post Matric Scholarship-Amount

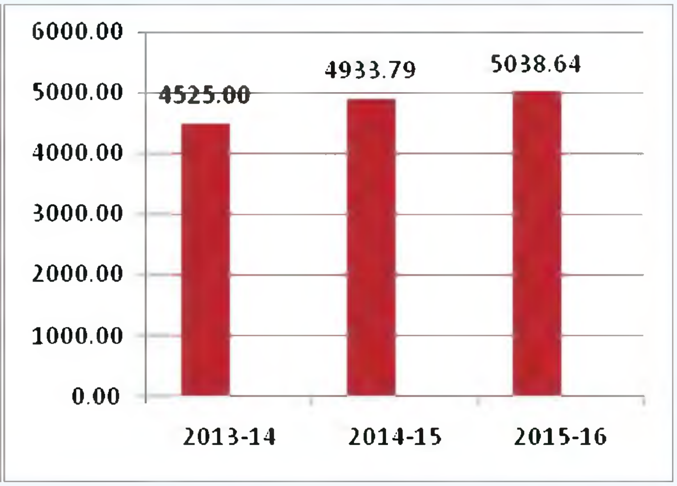

ST Post Matric Scholarship-Students

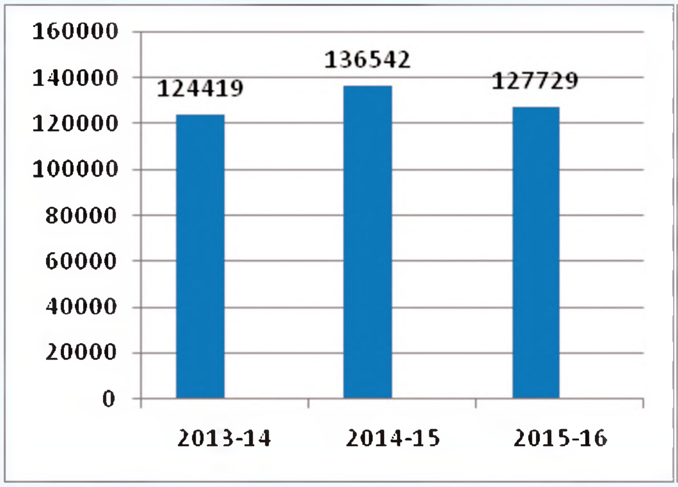

ST Post Matric Scholarship-Amount

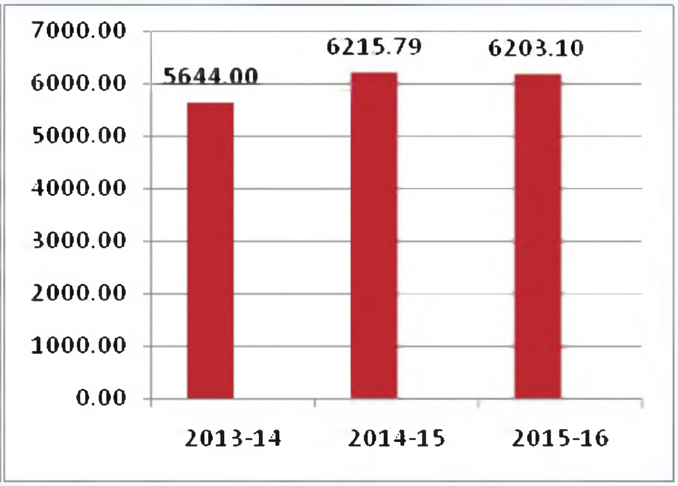

OBC Post Matric Scholarship-Students

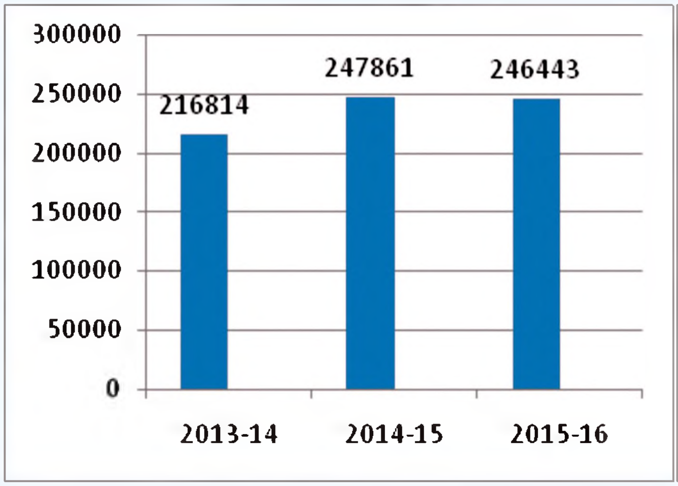

OBC Post Matric Scholarship-Amount

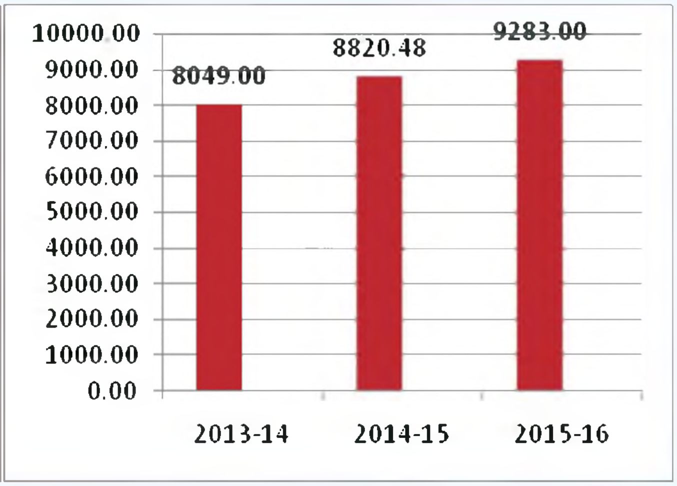

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (निर्वाह भत्ता) (अनु0जा0 एवं अ0ज0जा0)

- आय-सीमा- रू. 2.50 लाख तक वार्षिक आय,
- भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की दरें दिनांक 01.07.2010 से निम्नानुसार लागू हैं :-

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)			
	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह - 1 -				
(i) डिग्री तथा स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम यथा-एम.फिल, पीएच.डी तथा औषधि में पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान (अलोपैथिक, भारतीय तथा अन्य मान्यता प्राप्त औषधि पद्धतियां) इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, प्लानिंग, कृषि, डिजाईन, फैशन टेक्नालॉजी, पशु- चिकित्सा एवं सम्बद्ध विज्ञान, प्रबंधन, बिजनेस वित्त, बिजनेस प्रशासन तथा कम्प्यूटर अनुप्रयोग/विज्ञान।	1200	550	1200	550
(ii) वाणिज्यिक पायलेट लाइसेंस (हेलिकाप्टर पायलट तथा मल्टी-इंजिन रेटिंग पाठ्यक्रम				
(iii) प्रबंधन तथा औषधि में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम				
(iv) सी.ए./आई.सी.डब्ल्यू.ए./सी.एस./आई.सी.एफ.ए. आदि पाठ्यक्रम				
(v) एम.फिल., पीएच.डी तथा पोस्ट डाक्टोरल अनुसंधान यथा- डी.लिट, डी.एस.सी. इत्यादि				
(vi) एल.एल.एम.				

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (प्रति माह)			
	अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति	
	छात्रावासी	दिवा छात्र	छात्रावासी	दिवा छात्र
समूह - 2 - (i) स्नातक तथा स्नातकोत्तर स्तरीय डिग्री पाठ्यक्रम, डिप्लोमा, प्रमाण पत्र स्तरीय पाठ्यक्रम जैसे- फार्मेसी (बी.फार्मा), नर्सिंग (बी.नर्सिंग), एल.एल.बी., बी.एफ.एस. अन्य पैरा मेडिकल ब्रांच जैसे- रिहायबिलिटेशन, डायगनोस्टिक इत्यादि, होटल प्रंबधन, मॉस कम्यूनिकेशन, ट्रैवल/टूरिज्म/ हॉस्पिटायलिटी प्रबंधन, आंतरिक साज- सज्जा, न्यूट्रिशन और डायटेटिक्स, कामर्शियल आर्ट, वित्तीय सेवाएं जैसे-बैंकिंग, इंश्योरेंस इत्यादि जिसके लिए प्रवेश परीक्षा 12 स्तर के हो। (ii) स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रम जो समूह-1 में शामिल न हो जैसे- एम.ए., एम.एस.सी., एम.कॉम, एम.एड इत्यादि	820	530	820	530
समूह - 3 - स्नातक स्तरीय अन्य डिग्री पाठ्यक्रम (जो समूह-1 तथा 2 द्वारा शामिल नहीं किए गए हैं) जैसे-बी.ए., बी.एस.सी.,बी.कॉम.,बी.एड इत्यादि	570	300	570	300
समूह - 4 - सभी पोस्ट मैट्रिकुलेशन स्तरीय नॉन डिग्री पाठ्यक्रम जिसके लिए प्रवेश परीक्षा हाईस्कूल स्तरीय हो। आई टी आई पाठ्यक्रम, त्रिवर्षीय पॉलिटेक्निक डिप्लोमा पाठ्यक्रम	380	230	380	230

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राज्य शासन की दर (पिछड़ा वर्ग)

- आय-सीमा- रू. 1,00,000/- तक वार्षिक
- वर्तमान में उक्त छात्रवृत्ति राज्य आयोजना से दी जा रही है। छात्रवृत्ति की दरें निम्नानुसार है :-

समूह	छात्रवृत्ति की दरें (माहवार रूपये)				
	अध्ययन का वर्ष	छात्रावासी		गैर छात्रावासी	
		छात्र	छात्रा	छात्र	छात्रा
अ-मेडिकल तथा इंजीनियरिंग	प्रथम वर्ष	210	220	100	100
	द्वितीय वर्ष	210	255	100	115
बी.व्ही.एस.सी. तथा बी.एस.सी. (कृषि)	प्रथम वर्ष	185	195	100	110
	द्वितीय वर्ष	185	200	100	115
आ-डिप्लोमा कोर्सेस, मेडिकल टेक्नालांजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट साइंस	प्रथम वर्ष	130	135	100	110
	द्वितीय वर्ष	130	135	100	110
इ-सर्टिफिकेट कोर्सेस इंजीनियरिंग, मेडिकल टेक्नालॉजी तथा पोस्ट ग्रेजुएट, आर्ट एवं कामर्स	प्रथम वर्ष	125	135	100	110
ई-सर्टिफिकेट कोर्सेस अप टू ग्रेजुएट लेवल व बाद के वर्ष	प्रथम वर्ष	100	110	55	70
	द्वितीय वर्ष	115	130	70	85
स-कक्षा-11 वीं		100	110	50	60
कक्षा-12 वीं		100	110	55	70

अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग (मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, बौद्ध, जैन एवं पारसी समुदाय) के छात्र-छात्राओं के शैक्षणिक विकास के प्रयासों को प्रोत्साहित करने तथा शिक्षा के लिए पड़ने वाले आर्थिक भार को कम करने के उद्देश्य से निम्नांकित योजनाएं प्रारंभ है :-

1. मैट्रिक पूर्व (प्री0 मैट्रिक) छात्रवृत्ति
2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति
3. मेरिट सह साधन आधरित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

भारत सरकार द्वारा छात्रवृत्ति योजना के तहत् राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के लाभान्वितों की संख्या नियत की जाती है। नियत संख्या से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर निर्धनता सह प्रावीण्यता के आधार पर चयन किया जाता है। कुल देय छात्रवृत्तियों का न्यूनतम 30 प्रतिशत छात्राओं को देय होता है, परन्तु वांछित संख्या तक छात्राओं के आवेदन पत्र प्राप्त न होने पर उक्त छात्रवृत्ति छात्रों को दी जाती है।

भारत सरकार, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों के माध्यम से किया जाता है । छत्तीसगढ़ राज्य में उपर्युक्त योजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग पर है। लक्ष्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है। नवीनीकरण के लिए लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है।

योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी निम्नानुसार है :-

1. मैट्रिक पूर्व (प्री0 मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की गई है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 1ली से 10वीं तक के उन विद्यार्थियों को प्राप्त होती है, जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ-साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं में अध्ययनरत है। इस योजना हेतु भारत सरकार द्वारा 100 प्रतिशत राशि वहन की जाती है।

प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :-

क्रमांक	विवरण।		छात्रावासी	दिवा स्कालर (गैर छात्रावासी)
1	कक्षा 1ली से 5वीं तक (भरण-पोषण भत्ता)		-	100/- प्रतिमाह
2	कक्षा 6वीं से 10वीं तक	प्रवेश शुल्क	500/- प्रतिवर्ष	500/- प्रतिवर्ष
		शिक्षण शुल्क	350/- प्रतिमाह	350/- प्रतिमाह
		भरण पोषण भत्ता	600/- प्रतिमाह	100/- प्रतिमाह

पात्रता :-

1. पिछली वार्षिक परीक्षा में (कक्षा 1ली को छोड़कर) 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त होने पर।
2. पालक की वार्षिक आय 1.00 लाख से अधिक न होने की स्थिति में।
3. बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

1. यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जाती है।
2. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित है।

आवेदन, चयन एवं वितरण की प्रक्रिया :-

भारत सरकार की वेबसाईट www.scholarships.gov.in में विद्यार्थियों द्वारा ''आनलाईन'' आवेदन किया जाकर forward किया जाता है तत्पश्चात् संस्था द्वारा जिला कार्यालय को एवं जिला कार्यालय के द्वारा राज्य कार्यालय को और इसी प्रकार राज्य कार्यालय के द्वारा भारत सरकार को forward किया जाता है। इस वर्ष से छात्रवृत्ति की राशि भारत सरकार के द्वारा डी.बी.टी. के माध्यम से विद्यार्थियों के बैंक खाते में सीधे जमा कर दिया जाएगा।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि		मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
2013-14	लक्ष्य (नवीन)		8600	8400	1400	1400	0	18	19818
	उपलब्धि	नवीन	8600	983	1175	238	0	0	10996
		नवीनीकरण	6825	1022	1200	125	0	0	9172
		योग	**15425**	**2005**	**2375**	**363**	**0**	**0**	**20168**
2014-15	लक्ष्य (नवीन)		6345	6212	1078	1011	869	14	15529
	उपलब्धि	नवीन	6345	719	881	217	250	0	8412
		नवीनीकरण	8886	1047	1322	224	0	0	11479
		योग	**15231**	**1766**	**2203**	**441**	**250**	**0**	**19891**
2015-16	लक्ष्य (नवीन)		6345	6212	1078	1011	869	14	15529
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।						
		नवीनीकरण							
		योग							
2016-17	लक्ष्य (नवीन)		6345	6212	1078	1011	869	14	15529
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015-16 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।						
		नवीनीकरण							
		योग							

2. मैट्रिकोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है। यह छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के कक्षा 11वीं, 12वीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, एम. फिल एवं पी.एच.डी में अध्ययनरत्/शोधरत विद्यार्थियों को जो भारत के अन्दर शासकीय तथा निजी स्कूलों के साथ-साथ शासकीय आवासीय स्कूल तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त एवं अधिसूचित निजी आवासीय शैक्षणिक संस्थाओं महाविद्यालय/विश्वविद्यालययों में अध्ययनरत है, प्रति शिक्षण वर्ष में 10 माह हेतु निम्नानुसार प्रवेश शुल्क, शिक्षण तथा भरण-पोषण भत्ता प्रदान किया जाता है :-

क्रं.	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं	7,000/- प्रतिवर्ष	7,000/- प्रतिवर्ष
2	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क, कक्षा 11वीं एवं 12वीं स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	10,000/- प्रतिवर्ष	10,000/- प्रतिवर्ष
3	प्रवेश एवं शिक्षण शुल्क स्नातक एवं स्नाकोत्तर	3,000/- प्रतिवर्ष	3,000/- प्रतिवर्ष
4	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु) 1. कक्षा 11वीं से 12वीं एवं इस स्तर के तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम	380/- प्रतिमाह	230/- प्रतिमाह

आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार के वेबसाइट www.scholarships.gov.in में छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जाता है जो शैक्षणिक संस्था के माध्यम से राज्य शासन व केन्द्र शासन को फारवर्ड किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि		मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
2013-14	लक्ष्य (नवीन)		1063	1038	173	173	0	2	2449
	उपलब्धि	नवीन	1915	283	329	54	0	0	2581
		नवीनीकरण	172	18	35	5	0	0	230
		योग	2087	301	364	59	0	2	2811
2014-15	लक्ष्य (नवीन)		1058	1035	180	169	145	2	2589
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।						
		नवीनीकरण							
		योग							

	2. स्नातक एवं स्नाकोत्तर (तकनीकी एवं व्यावसायिक पाठ्यक्रम छोड़कर)	570/- प्रतिमाह	300/- प्रतिमाह
	3. एम.फिल. और पी.एच.डी.	1200/- प्रतिमाह	550/- प्रतिमाह

पात्रता :-

1. जिन्होनें पिछली वार्षिक परीक्षा में 50 प्रतिशत या अधिक अंक प्राप्त किए हों।
2. जिनके पालक की सभी स्रोतों से आय रूपये 2.00 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
3. बैंक में खाता हो।

उपबंध :-

1 यह छात्रवृत्ति एक परिवार के केवल दो विद्यार्थियों को दी जा सकेगी।

2 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।

4. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

5. छात्रवृत्ति का नवीनीकरण कम से कम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने एवं निर्धारित वार्षिक आय पर किया जावेगा।

6. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

2015-16	लक्ष्य (नवीन)		1058	1035	180	169	145	2	2589
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।						
		नवीनीकरण							
		योग							
2016-17	लक्ष्य (नवीन)		1058	1035	180	169	145	2	2589
	उपलब्धि	नवीन	कार्यवाही प्रक्रियाधीन						
		नवीनीकरण							
		योग							

3. मेरिट सह साधन आधारित (मेरिट कम मीन्स) छात्रवृत्ति

यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है। छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक वर्ग के समस्त तकनीकी पाठ्यक्रमों (जैसे बीई, एमई, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए, बीएससी नर्सिंग, एमबीबीए, एलएलबी इत्यादि शामिल हैं, इसकी विस्तृत सूची भारत सरकार के वेबसाईट एवं tribal.cg.gov.in पर देखी जा सकती है।), में भारत के अंदर स्थित शैक्षणिक संस्थाओं तथा भारत सरकार द्वारा सूचित संस्थाओं में अध्ययनरत् विद्यार्थियों को दी जाती है :-

क्रमांक	विवरण	छात्रावासी	दिवा स्कालर
1	अनुरक्षण भत्ता (10 माह हेतु)	रू. 1000/- प्रतिमाह की दर से कुल रू. 10,000/-	रू. 500/- प्रतिमाह की दर से कुल 5,000/-
2	पाठ्यक्रम शुल्क	रू. 20,000/- प्रतिवर्ष या वास्तविक जो भी कम हो।	रू. 20,000/- वार्षिक या वास्तविक जो भी कम हो

पात्रता :-

1. यह छात्रवृत्ति उन विद्यार्थियों को दी जावेगी जिनका चयन मान्यता प्राप्त तकनीकी/व्यवसायिक संस्थाओं की प्रवेश परीक्षा में प्रावीण्य के आधार पर हुआ है।
2. यदि विद्यार्थी का प्रवेश बिना प्रतियोगी परीक्षा के हुआ है तो वे भी छात्रवृत्ति पाने के योग्य होंगे, बशर्ते उनके हायर सेकेण्डरी/स्नातक परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक या इससे अधिक हों।
3. जिनके पालक की सभी स्रोतों से आय रूपये 2.50 लाख वार्षिक से अधिक न हो।
4. बैंक में खाता होना आवश्यक है।

उपबंध :-

1. 30 प्रतिशत छात्रवृत्ति छात्राओं के लिए चिन्हित की गई है।
2. किसी भी अन्य योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को इस छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
3. किसी भी तरह के त्रुटिपूर्ण/फर्जी जानकारी दिया जाना, पाए जाने पर अथवा किसी कदाचरण के प्रमाणित होने पर छात्रवृत्ति निरस्त की जावेगी।

आवेदन की प्रक्रिया :-

भारत सरकार के वेबसाइट www.scholarships.gov.in में छात्र/छात्राओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरा जाता है जो शैक्षणिक संस्था के माध्यम से राज्य शासन व केन्द्र शासन को फारवर्ड किया जाता है। भारत सरकार के द्वारा ऑनलाईन चयन किया जाता है व डीबीटी के माध्यम से छात्रवृत्ति की राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है।

वर्षवार लक्ष्य एवं उपलब्धि :-

वर्ष	लक्ष्य/ उपलब्धि		मुस्लिम	ईसाई	सिक्ख	बौद्ध	जैन	पारसी	योग
2013-14	लक्ष्य (नवीन)		129	126	21	21	0	0	297
	उपलब्धि	नवीन	151	69	57	12	0	0	289
		नवीनीकरण	81	22	18	0	0	0	121
		योग	232	91	75	12	0	0	410
2014-15	लक्ष्य (नवीन)		127	124	22	20	17	0	310
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।						
		नवीनीकरण							
		योग							
2015-16	लक्ष्य (नवीन)		127	124	22	20	17	0	310
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।						
		नवीनीकरण							
		योग							
2016-17	लक्ष्य (नवीन)		127	124	22	20	17	0	310
	उपलब्धि	नवीन	भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 से छात्रवृत्ति की राशि डी.बी.टी. के माध्यम से सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जा रही है।						
		नवीनीकरण							
		योग							

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना :-

शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ठ मानदंड स्थापित करने वाले प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूलों एवं समकक्ष संस्थाओं में महंगी फीस के कारण प्रतिभावान गरीब अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के छात्र उक्त विद्यालय में पढ़ने से वंचित रह जाते है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कक्षा 6वीं में 100 अनुसूचित जनजाति एवं 50 अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष राज्य के उत्कृष्ठ पब्लिक स्कूलों में प्रवेश दिलाया जाता है। वर्ष 2016-17 में नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या 223 तथा नवीनीकरण के तहत विद्यार्थियों की संख्या 819 है। नवीन प्रवेशित विद्यार्थियों को प्रदेश के 09 चयनित निजी संस्थाओं में प्रवेश दिलाया गया है। इस हेतु कुल बजट प्रावधान 1245.00 लाख का है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विद्यार्थी उत्कर्ष योजना विगत तीन वर्षो की जानकारी

क्र.	वर्ष	बजट प्रावधान राशि लाख में	विद्यार्थियों की संख्या		
			नवीन प्रवेशित	नवीनीकरण	योग
1	2013-14	1011.74	145	986	1186
2	2014-15	1220.00	186	1059	1059
3	2015-16	1245.00	82	1086	1168
4	2016-17	1245.00	223	819	1042

छात्र भोजन सहाय योजना :-

- भारत सरकार की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनांतर्गत छात्रों को छात्रावासी दर से छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, जिनसे छात्रावासी विद्यार्थियों को ये छात्रवृत्तियां उनके मात्र भोजन की पूर्ति कर पाती है । छात्रावासी विद्यार्थियों के बढ़ते उम्र के अनुरूप संतुलित शारीरिक मानसिक विकास हेतु अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए विशेष पोषण आहार के लिए अतिरिक्त राशि प्रदाय करने के लिए छात्र भोजन सहाय योजना वर्ष 2005-06 से प्रारंभ की गई है । अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यह योजना वर्ष 2015-16 से प्रारंभ की गई है।
- इसके अंतर्गत वर्ष 2015-16 में प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 500/- रूपए उपलब्ध कराया जाता है । यह राशि पूर्व से प्राप्त हो रही छात्रवृत्ति के अतिरिक्त होती है।
- योजना के तहत् वर्ष 2016-17 के लिए बजट प्रावधान एवं लक्ष्य की जानकारी निम्नानुसार है :-

वर्ग	प्रावधान	भौतिक लक्ष्य
अनुसूचित जाति	269.00	5380
अनुसूचित जनजाति	865.30	18005
अन्य पिछड़ा वर्ग	52.50	1050
योग -	1186.80	24435

छात्रावासी विद्यार्थियों के लिए विशेष शिक्षण केन्द्र (ट्यूशन) योजना :-

दूरस्थ आदिवासी क्षेत्रों में कठिन विषयों के शिक्षकों का अभाव बना रहता है, जिसके कारण छात्रावास आश्रमों में निवासरत् विद्यार्थी कठिन विषयों में कमजोर रह जाते हैं, फलस्वरूप परीक्षा परिणाम अपेक्षित स्तर का नहीं रहता है । इस योजना द्वारा अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के छात्रावासों/आश्रमों में रहने वाले विद्यार्थियों को निदानात्मक एव उपचारात्मक विशेष शिक्षण के माध्यम से कठिन विषयों जैसे- गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, वाणिज्य से संबंधित कमजोरी को दूर करने की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे इस वर्ग के छात्र/छात्राओं के परीक्षा परिणाम में गुणात्मक सुधार के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने योग्य बन सके, विशेष शिक्षण प्रदान करने हेतु 146 विकासखंडो पर विशेष शिक्षण केन्द्र योजना प्रारंभ की गई है।

वर्ष 2016-17 में इस हेतु राशि रूपये 225.00 लाख प्रावधानित है। इससे लगभग 37000 विद्यार्थी लाभान्वित हो सकेंगे।

स्वस्थ तन-स्वस्थ मन (स्वास्थ्य सुरक्षा) योजना :-

इस योजना अंतर्गत विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों में निवासरत छात्र-छात्राओं के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु यह योजना वर्ष 2007-08 से लागू है इसके अंतर्गत अनुबंधित निजी चिकित्सकों द्वारा माह में दो बार विद्यार्थियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। वर्ष 2016-17 में लगभग 82000 छात्र-छात्राएं लाभांवित हो रहे हैं।

एकलव्य आवासीय विद्यालय :-

राज्य शासन द्वारा संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार जनजाति कार्य मंत्रालय से प्राप्त राशि से यह योजना संचालित है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा उपलब्ध कराकर सामान्य जाति के विद्यार्थियों के समकक्ष लाना, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत कर प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हों, इस हेतु एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय प्रारंभ किए गए है। इन विद्यालयों में वर्तमान में छ0ग0 बोर्ड के पाठ्यक्रम अनुसार अध्यापन कराया जा रहा है। वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 1844.98 लाख का बजट प्रावधान है।

एकलव्य आवासीय विद्यालय, करपावण्ड जिला-बस्तर

वर्तमान में संचालित एकलव्य आवासीय विद्यालयों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रं.	संस्था का नाम	प्रारंभ वर्ष	स्वीकृत सीट	भरे सीट
1	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मैनपाट(सरगुजा)	2005-06	420	340
2	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय छोट मुड़पार खरसिया(रायगढ़)	2005-06	420	387
3	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय सन्ना (जशपुर)	2005-06	420	409
4	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय शिवप्रसाद नगर (सूरजपुर)	2005-06	420	388
5	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय तरेगांव जंगल (कबीरधाम)	2005-06	420	348
6	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय अंतागढ़ (कांकेर)	2005-06	420	401
7	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कटेकल्याण (दंतेवाड़ा)	2005-06	420	282
8	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय करपावंड (बस्तर)	2005-06	420	420

9	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय पेंड्री (राजनांदगाव)	2011–12	360	382
10	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कटघोरा (कोरबा)	2012–13	300	275
11	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय खड़गवां (कोरिया)	2012–13	300	286
12	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय भैरमगढ़ (बीजापुर)	2013–14	240	240
13	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बेसोली (बस्तर)	2015–16	120	112
14	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मरवाही (बिलासपुर)	2016–17	60	60
15	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय नारायणपुर	2016–17	60	60
16	एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय मर्दापाल (कोण्डागांव)	2016–17	60	36
	योग		4860	4372

बोर्ड परीक्षा परिणाम 2015-16

क्रं.	कक्षा	कुल परीक्षा में सम्मिलित	कुल उत्तीर्ण		प्रथम श्रेणी		द्वितीय श्रेणी	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	10वीं	451	442	98	259	59	141	32
2	12वीं	281	267	96	96	36	153	57

अशासकीय शिक्षण संस्थाओं को राज्य अनुदान :-

➢ अनुसूचित जाति तथा जनजाति के हितार्थ कार्य कर रही अशासकीय संस्थाओं को विभागीय अशासकीय संस्था अनुदान नियम 2006 में प्रावधानों के अनुसार अनुदान दिया जाता है। इस हेतु वर्ष 2016-17 में प्रावधान निम्नानुसार है :-

अनुदान प्राप्त संस्थाएँ	प्रावधान (लाखों में)	जारी आवंटन (लाखों में)
अशासकीय संस्थाओं को अनुदान	700.00 (शिक्षा विभाग से प्राप्त राशि)	679.03

स्वैच्छिक संगठनों को भारत सरकार से अनुदान :-

➢ भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार राज्य में, स्वैच्छिक संगठनों द्वारा अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यक समुदाय के कल्याण/उत्थान हेतु संचालित प्रवृत्तियों/गैर शासकीय संस्थाओं द्वारा संचालित (परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण) के प्रस्ताव शासन स्तर पर गठित स्वैच्छिक संगठनों के सहायतार्थ राज्य स्तरीय समिति के अनुमोदन पश्चात् वर्ष 2016-17 में भारत सरकार को अनुदान स्वीकृति कि लिए प्रेषित प्रस्ताव का विवरण निम्नानुसार है :-

भारत सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित अनुसूचित जनजाति संवर्ग के प्रस्ताव

क्रमांक	अनुदान हेतु संस्थाऐं	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि
1	06 संस्थाओं के नवीनीकरण प्रस्ताव	1,66,03,838/-

नर्सिंग पाठ्यक्रम में अध्ययन सुविधा योजना -

यह योजना वर्ष 2009-10 से प्रारंभ की गयी हैं । योजना अंतर्गत प्रतिवर्ष अनुसूचित जाति वर्ग के 155 एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के 245 इस प्रकार कुल 400 विद्यार्थियों को नर्सिंग पाठ्यक्रम में निःशुल्क अध्ययन सुविधा दिये जाने का लक्ष्य हैं । वर्ष 2016-17 में योजनांतर्गत अनुसूचित जाति मद में राशि रू. 460.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति मद में राशि रू. 759.00 लाख का बजट प्रावधान है।

हॉस्पिटैलिटी एवं होटल मैनेजमेंट -

राज्य शासन द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग की छात्र/छात्राओं को एयर होस्टेस, एविएशन, हॉस्पिटालिटी तथा होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा प्रशिक्षण योजना वर्ष 2006-07 से प्रारंभ की गयी है। वर्ष 2013-14 में योजना में संशोधन किया गया हैं, जिसके तहत् "हॉस्पिटालिटी एवं होटल मैनेजमेंट" में डिप्लोमा प्रशिक्षण दिया जा रहा है। योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जाति मद में राशि रू. 53.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति मद में राशि रू. 53.00 लाख का बजट प्रावधान है।

निःशुल्क वाहन चालक प्रशिक्षण योजना -

इस योजनांतर्गत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के कक्षा 8वीं उत्तीर्ण गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों को वाहन चालक का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर रोजगार उपलब्ध कराने हेतु यह योजना वर्ष 2008-09 से प्रारंभ की गयी है। वर्ष 2016-17 में योजनांतर्गत अनुसूचित जाति मद में राशि रू. 10.00 लाख तथा अनुसूचित जनजाति मद में राशि रू. 10.00 लाख का बजट प्रावधान है। उपरोक्त बजट प्रावधान से अनुसूचित जाति वर्ग के 66 तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के 66 अभ्यर्थियों को प्रशिक्षण दिलाये जाने का लक्ष्य है।

रविदास चर्मशिल्प योजना :-

प्रदेश के चर्म सिलाई के व्यवसाय में लगे लोगो को वित्तीय सहायता प्रदान करने की दृष्टि से वर्ष 2008-09 में रविदास चर्मशिल्प योजना प्रारंभ की गयी है। इसके तहत् अनुसूचित जाति के हितग्राहियों को मोची पेटी औजार सहित निःशुल्क प्रदान की जाती है। वर्ष 2016-17 में योजनांतर्गत राशि रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान हैं। जिसके परिप्रेक्ष्य में राशि रू. 30.00 लाख जिलों को आबंटन उपलब्ध करा दिया गया है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 अन्तर्गत राहत योजना :-

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के सदस्यों पर गैर अनुसूचित जाति/जनजाति व्यक्तियों के द्वारा अत्याचार अपराध करने का निवारण के लिए ऐसे अपराधों के विचारण के लिए विशेष न्यायालय तथा ऐसे अपराधों से पीड़ित व्यक्तियों

को राहत देने तथा उनके पुनर्वास से संबंधित विषयों के लिए अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम-1989 लागू किया गया है।

छ.ग. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (आकस्मिकता योजना) नियम 1995 संशोधित नियम 24 अगस्त 2016 के द्वारा नियम 7 राहत एवं सहायता 12(4) के अंतर्गत देय राहत राशि इस प्रकार है :-

<table>
<tr><th>क्रं.</th><th>अपराध का नाम</th><th>राहत की न्यूनतम राशि</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>अखाद्य या घृणाजनक पदार्थ रखना (अधिनियम की धारा 3(1)(क)</td><td rowspan="5">पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाए :
(i) क्रम संख्या (2) और (3) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 10 प्रतिशत और क्रम संख्या (1), (4) और (5) के लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रक्रम पर 25 प्रतिशत
(ii) जब आरोप पत्र न्यायालय में भेजा जाता है, तब 50 प्रतिशत।
(iii) जब अभियुक्त व्यक्ति क्रम संख्या (2) और (3) के लिए अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध कर दिया जाता है तब 40 प्रतिशत और इसी प्रकार क्रम संख्यांक (1), (4) और (5) के लिए 25 प्रतिशत।</td></tr>
<tr><td>2.</td><td>मल--मूत्र, मल, पशु शव या कोई अन्य घृणाजनक पदार्थ इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ख)</td></tr>
<tr><td>3.</td><td>क्षति करने, अपमानित या क्षुब्ध करने के आशय से मलमूत्र, कूड़ा, पशु शव इकट्ठा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ग)</td></tr>
<tr><td>4.</td><td>जूतों की माला पहनाना या नग्न या अर्ध नग्न घुमाना (अधिनियम की धारा 3 (1)(घ)</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>बलपूर्वक ऐसे कार्य करना जैसे कपड़े उतारना, बलपूर्वक सिर का मुंडन करना, मूछे हटाना, चेहरे या शरीर को पोतना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड.)</td></tr>
<tr><td>6.</td><td>भूमि को सदोष अधिभोग में लेना या उस पर खेती करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च)</td><td rowspan="2">पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। जहां आवश्यक हो वहां संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन द्वारा सरकारी खर्चे पर भूमि या परिसर या जल आपूर्ति या सिंचाई सुविधा वापस लौटाई जाएगी। पीड़ित व्यक्ति को निम्नानुसार संदाय किया जाएगा :
(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत
(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत।
(iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।</td></tr>
<tr><td>7.</td><td>भूमि या परिसरों से सदोष बेकब्जा करना या अधिकारों जिनके अंतर्गत वन अधिकार भी हैं, के साथ हस्तक्षेप करना (अधिनियम की धारा 3(1)(च.)</td></tr>
</table>

8.	बेगार यो अन्य प्रकार के बलातश्रम या बंधुआ श्रम (अधिनियम की धारा 3(1)(ज)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए। संदाय निम्नानुसा किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
9.	मानव या पशु शवों की अंत्येष्टि या ले जाने या कब्रों को खोदने के लिए विवश करना (अधिनियम की धारा 3(1)(झ.)	
10.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य को हाथ से सफाई करवाना या ऐसे प्रयोजन के लिए उसे नियोजित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ञ)	
11.	अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को देवदासी के रूप में कार्य निष्पादन करने या समर्पण का संवर्धन करने (अधिनियम की धारा 3(1)(ट)	
12.	मतदान करने या नामनिर्देशन फाइल करने से निवारित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ठ)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
13.	पंचायत या नगर पालिका के पद के धारक को कर्तव्यों के पालन में मजबूर करना या अभित्रस्त करना या उनमें व्यवधान डालना (अधिनियम की धारा 3(1)(ड)	
14.	मतदान के पश्चात हिंसा और सामाजिक तथा आर्थिक बहिष्कार का अधिरोपण (अधिनियम की धारा 3 (1)(ढ़)	
15.	किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने या उसको मतदान नहीं करने के लिए इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ण)	
16.	मिथ्या, द्वेषपूर्ण या तंग करने वाली विधिक कार्यवाइयां संस्थित करना (अधिनियम की धारा 3(1)(त)	पीड़ित व्यक्ति को पचासी हजार रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति जो भी कम हो। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।

		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
17.	किसी लोकसेवक को कोई मिथ्या और तुच्छ सूचना देना (अधिनियम की धारा 3(1)(थ)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए या वास्तविक विधिक खर्चों और नुकसानियों की प्रतिपूर्ति, जो भी कम हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
18.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर साशय अपमान या अपमानित करने के लिए अभित्रास (अधिनियम की धारा 3(1)(द)	पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
19.	लोक दृष्टि में आने वाले किसी स्थान पर जाति के नाम से गाली गलौच करना (अधिनियम की धारा 3(1)(ध)	
20.	धार्मिक मानी जाने वाली या अति श्रद्धा से ज्ञात किसी वस्तु को नष्ट करना, हानि पहुंचाना या उसे अपवित्र करना (अधिनियम की धारा 3(1)(न)	
21.	शत्रुता, घृणा से वैमनस्य की भावनाओं में अभिवृद्धि करना (अधिनियम की धारा 3(1)(प)	
22.	अति श्रद्धा से माने जाने वाले किसी दिवंगत व्यक्ति का शब्दों द्वारा या किसी अन्य साधन से अनादर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(फ)	
23.	किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की स्त्री को साशय ऐसे कार्यों या अंगविक्षेपों का उपयोग	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

	करके जो लैंगिक प्रकृति के कार्य के रूप में हों, उसकी सहमति के बिना उसे स्पर्श करना (अधिनियम की धारा 3 (1)(ब)	(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त के दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
24.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 326 ख (1860 का 45) स्वेच्छया अम्ल फेंकना या फेंकने का प्रयत्न करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(फक)	(क) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका चेहरा 2 प्रतिशत या उससे अधिक जला हुआ है या आंख, कान, नाक और मुंह के प्रकार्य ह्रास और या शरीर पर 30 प्रतिशत से अधिक जलन की क्षति की दशा में आठ लाख पच्चीस हजार रूपए। (ख) ऐसे पीड़ित व्यक्ति को जिसका शरीर 10 प्रतिशत से 30 प्रतिशत के बीच में जला हुआ है चार लाख पंद्रह हजार रूपए। (ग) ऐसा पीड़ित व्यक्ति, चेहरे के अतिरिक्त, जिसका शरीर 10 प्रतिशत से कम जला हुआ है, को पचासी हजार रूपए। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या संघ राज्य प्रशासन अम्ल के हमले के पीड़ित व्यक्ति के उपचार के लिए पूरी जिम्मेदारी लेगा। मद (क) से (ग) के निबंधानुसार संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत। (ii) चिकित्सा रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर 50 प्रतिशत।
25.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 (1860 का 45) स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या अपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत

		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
26.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354 (1860 का 45) (लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड (अधिनियम की अनुसूची क साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) निचले न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
27.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ख (1860 का 45) निर्वस्त्र करने के आशय से स्त्री पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 50 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण के समाप्त होने पर 25 प्रतिशत।
28.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354ग (1860 का 45) दृश्यरतिकता (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।

29.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 354घ (1860 का 45) पीछा करना (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 10 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 40 प्रतिशत।
30.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ख (1860 का 45) पति द्वारा अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के के पश्चात 50 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
31.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 376ग (1860 का 45) प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को चार लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा परीक्षा और पुष्टिकारक चिकित्सा रिपोर्ट के पश्चात 50 प्रतिशत। (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 25 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
32.	भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 509 (1860 का 45) शब्द, अंगविक्षेप या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(Vक)	पीड़ित व्यक्ति को दो लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत

		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
33.	जल को दूषित या गंदा करना (अधिनियम की धारा 3(1)(भ)	सामान्य सुविधा जिसके अंतर्गत जब पानी दूषित कर दिया जाता है, की सफाई भी है, को वापस लौटाने का पूरा खर्च संबद्ध राज्य सरकार या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त आठ लाख पच्चीस हजार की रकम स्थानीय निकाय के परामर्श से जिला प्राधिकारी द्वारा विनिश्चय की जाने वाली प्रकृति की सामुदायिक अस्तियों को सृजित करने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा की जाए।
34.	लोक समागम के किसी स्थान से गुजरने के किसी रूढिजन्य अधिकार से इन्कार या लोक समागम के ऐसे स्थान का उपयोग करने या उस पर पहुंच रखने में बाधा पहुंचाना (अधिनियम की धारा 3 (1)(म)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा पीड़ित व्यक्ति को चार लाख पच्चीस हजार रूपए और गुजरने के अधिकार के प्रत्यावर्तन का खर्च, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत (ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) निचले न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
35.	गृह, ग्राम या निवास का स्थान छोड़ने के लिए मजबूर करना (अधिनियम की धारा 3(1)(य)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा गृह, ग्राम या निवास के अन्य स्थान पर स्थल या ठहरने के अधिकार की बहाली और पीड़ित व्यक्ति को एक लाख रूपए की राहत तथा सरकारी खर्चे पर गृह का पुनः संनिर्माण, यदि विनिष्ट हो गया है, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत

		(ii) न्यायालय को आरोप पत्र भेज दिए जाने पर 50 प्रतिशत। (iii) अवर न्यायालय द्वारा अभियुक्त व्यक्ति को दोषसिद्ध किए जाने पर 25 प्रतिशत।
36.	निम्नलिखित के संबंध में, किसी रीति के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्य हो बाधा डालना या निवारित करना - (अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति या अन्य के साथ समानता के आधार पर कब्रिस्तान या श्मशान भूमि या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(अ)	(अ) क्षेत्र की सामान्य सम्पत्ति संसाधनों कब्रिस्तान या श्मशान भूमि का अन्य के साथ समानता के आधार पर उपयोग को या किसी नदी, धारा, झरना, कुंआ, टैंक, हौज, नल या अन्य जल स्थान या नहाने के घाट, किसी लोक परिवहन, किसी सड़क या रास्ते का उपयोग समानता के आधार पर संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाल करना और पीड़ित को एक लाख रूपए की राहत, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी करना (अधिनियम की धारा 3(1)(यक)(आ)	(आ) सार्वजनिक स्थानों पर साइकिल या मोटर साइकिल पर सवार होना या जूता आदि या नए वस्त्र पहनना या बारात निकालना या बारात के दौरान घोड़े की सवारी या किसी अन्य वाहन की सवारी की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत।

		(ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(इ) किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेना। (अधिनियम की धारा 3(1) (यक)(इ)	(इ) अन्य व्यक्तियों के साथ समानतापूर्वक किसी ऐसे पूजा स्थल में प्रवेश करना, जो पब्लिक या अन्य व्यक्तियों के लिए खुले हुए हैं, जो उसी धर्म के हैं या कोई धार्मिक जुलूस या किसी सामाजिक या सांस्कृतिक जुलूस, जिसके अंतर्गत यात्रा है, निकालना या उनमें भाग लेने के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के खूलक लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग। (अधिनियम की धारा 3(1) (यक)(ई)	(ई) किसी शैक्षणिक संस्था, अस्पताल, औषधालय, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, दुकान या सार्वजनिक मनोरंजन के स्थान या किसी सार्वजनिक स्थान में प्रवेश करना, या पब्लिक के लिए खुले किसी स्थान में पब्लिक द्वारा उपयोग के लिए आशयित बर्तनों या वस्तुओं का उपयोग की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारोबार करना या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य व्यापार सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने का या उस तक पहुंच का अधिकार है। (अधिनियम की धारा 3(1) (यक)(उ)	(उ) कोई व्यवसाय करना या कोई वृत्तिक, व्यापार या कारबार करने या किसी कार्य में नियोजन, जिनमें पब्लिक के अन्य सदस्यों या उसके किसी भाग का उपयोग करने की या उस तक पहुंच के अधिकार की राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा बहाली करना और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) प्रक्रम पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
37.	डायन होने या जादू-टोना करने का आरोप लगाने से शारीरिक क्षति या मानसिक अपहानि कारित करना। (अधिनियम की धारा 3(1)(यख)	पीड़ित को एक लाख रूपए और उसके अनादर बेइज्जती, क्षति और उसकी अवमानना के अनुसार संदाय। (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
38.	सामाजिक या आर्थिक बहिष्कार अधिरोपित करना या उसकी धमकी देना (अधिनियम की धारा3(1)(यग)	संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा अन्य व्यक्तियों के साथ समान रूप से सभी सामाजिक और आर्थिक

		सेवाओं की बहाली और पीड़ित को एक लाख रूपए का अनुतोष जिसका संदाय पूर्ण रूप से अवर न्यायालय को आरोप पत्र भेजने पर किया जाएगा।
39.	मिथ्या साक्ष्य देना या गढ़ना (अधिनियम की धारा 3 (2)(i) और (ii)	पीड़ित को चार लाख पचास हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
40.	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45)के अधीन अपराध करना, जो दस वर्ष से या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय है। (अधिनियम की धारा 3(2)	पीड़ित और उसके आश्रितों को चार लाख रूपये। इस रकम में फेरफार हो सकता है यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबन्ध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
41.	भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) के अधीन अपराध करना, जो अधिनियम की अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, जो ऐसे दंड से दंडनीय है जैसा कि ऐसे अपराधों के लिए भारतीय दंड संहिता में विर्निदिष्ट किया गया है। (अधिनियम की अनुसूची के साथ पठित धारा 3(2)(अ)	पीड़ितों और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। इस रकम में फेरकार हो सकता है, यदि अनुसूची में विनिर्दिष्ट अन्यथा उपबंध किया गया हो, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
42.	लोक सेवक के हाथों पीड़ित करना। (अधिनियम की धारा 3(2)(vii)	पीड़ित और या उसके आश्रितों को दो लाख रूपए। संदाय निम्नानुसार किया जाएगा :

		(i) प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) पर 25 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) 25 प्रतिशत जब अभियुक्त को अवर न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए जाने पर।
43.	निःशक्तता। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अधिसूचना सं. 16-18/97-एनआई तारीख 1 जून 2001 में यथा प्रमाणन की प्रक्रिया कि लिए अन्तर्विष्ट विभिन्न निःशक्तताओं के मूल्यांकन के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत। अधिसूचना की एक प्रति उपाबंध 2 पर है।	
	(क) शत-प्रतिशत अक्षमता।	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ख) जहाँ अक्षमता शत-प्रतिशत से कम है किन्तु पचास प्रतिशत से अधिक है।	पीड़ित को चार लाख पच्चास हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।
	(ग) जहाँ अक्षमता पचास प्रतिशत से कम है।	पीड़ित को दो लाख पच्चास हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है।

44.	बलात्संग या सामूहिक बलात्संग (i) बलात्संग भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 375	पीड़ित को पांच लाख रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत।
	(ii) सामूहिक बलात्संग भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376 घ	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) चिकित्सा जांच और चिकित्सा रिपोर्ट की पुष्टि के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 25 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजा जाता है। (iii) अवर न्यायालय द्वारा विचारण की समाप्ति पर 25 प्रतिशत.
45.	हत्या या मृत्यु	पीड़ित को आठ लाख पच्चीस हजार रूपए, संदाय निम्नानुसार किया जाएगा : (i) शव परीक्षण के पश्चात् 50 प्रतिशत। (ii) 50 प्रतिशत जब आरोप पत्र न्यायालय को भेजे जाने पर।
46.	हत्या, मृत्यु, सामूहिक हत्या, बलात्संग, सामूहिक बलात्संग, स्थायी अक्षमता और डकैती की पीड़ितो को अतिरिक्त अनुतोष।	पूर्वोक्त मदों के अधीन संदत्त अनुतोष की रकम के अतिरिक्त अनुतोष का अत्याचार की तारीख से तीन मास के भीतर निम्नानुसार प्रबंध किया जाएगा :- (i) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले मृतक व्यक्ति की विधवा या अन्य आश्रितों के प्रतिमास पांच हजार रूपये की मूल पेंशन के साथ अनुज्ञेय मंहगाई भत्ता, जैसा संबंधित राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के सरकारी सेवकों को लागू है और मृतक के कुटुम्ब के सदस्यों को रोजगार और कृषि

		भूमि, घर, यदि तुरंत क्रय द्वारा आवश्यक हो, का उपबंध : (ii) पीडित के बालकों की स्नातक स्तर तक शिक्षा की पूरी लागत और उनका भरण-पोषण। बालकों को सरकार द्वारा पूर्णतया वित्तपोशित आश्रम स्कूलों या आवासीय स्कूलों में दाखिल किया जा सकेगा, (iii) बर्तनों, चावल, गेहूं, दालों, दलहन आदि तीन मास की अवधि के लिए उपबंध।
47.	घरों को पूर्णतया नष्ट करना या जलाना।	ईंटों या पत्थरों से बने हुए घरों का निर्माण या सरकारी लागत पर उन्हें वहां उपलब्ध कराना जहां उन्हें पूर्णतया जला दिया गया है या नष्ट कर दिया गया है।

उक्त अपराधों के लिए दण्ड का प्रावधान है। अधिनियम के अनुसार पीड़ित व्यक्ति/परिवार को सहायता पहुँचाने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) नियम-1995 बनाया गया है। इस नियम के अन्तर्गत आकस्मिकता योजना नियम-1995 द्वारा पीड़ित व्यक्तियों/परिवारों को राहत एवं पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई जाती है। राज्य शासन की अधिसूचना दिनांक 23.08.2012 के द्वारा अत्याचार पीड़ितों को देय राहत एवं पुनर्वास सहायता की दरों में न्यूनतम 140% से 166% तक वृद्धि की गई है तथा हत्या/मृत्यु के मामले में जीवन निर्वाह भत्ते की दर में 200% वृद्धि की गई है। अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 की धारा 3(1) या 3(2) की विभिन्न उपधाराओं के अंतर्गत विभिन्न अत्याचार अपराध से उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/जनजाति समुदाय के व्यक्ति, उनके परिवार या आश्रितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता की पात्रता होगी। वर्ष 2015-16 में अधिनियम के तहत घटित अपराधों में अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के कुल 531 व्यक्तियों को राहत सहायता दी गई है। वर्ष 2016-17 में माह दिसम्बर 2016 की स्थिति में 191 अत्याचार पीड़ितों को राहत सहायता स्वीकृत की गई है।

उक्त अधिनियम के तहत् बनाए गए अत्याचार निवारण नियम 1995 की धारा 9 के अनुपालन में राज्य शासन द्वारा आयुक्त आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास छत्तीसगढ़ को नोडल अधिकारी घोषित किया गया है। उक्त नियम की धारा 16 के तहत प्रदेश में अधिनियम के उपबंधों के क्रियान्यवन, पीड़ित व्यक्तियों को दी गई राहत एवं पुनर्वास तथा उनसे संबंद्ध मामलों पर विचार/समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समिति माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित है तथा नियम 16 (2) के अनुसार कैलेण्डर वर्ष 2016 में उक्त समिति की बैठक 28 मई 2016 को आयोजित की गई है। नियम 17 (1) के अनुसार प्रदेश के समस्त 27 जिलों में जिला स्तरीय सतर्कता एवं मॉनिटरिंग समितियों का गठन किया गया है तथा नियम 17 (3) के अनुसार जिला स्तर पर इन समितियों की बैठकें आयोजित की जा रही हैं।

अनुसूचित जाति/जनजाति के विरूद्ध अपराधों पर नियंत्रण के लिए प्रदेश में 13 जिलों यथा जिला- रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, जगदलपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कबीरधाम, महासमुन्द, जांजगीर एवं कोरबा में

विशेष थाना (पुलिस) स्थापित किए जाकर कार्यरत है। शेष 14 जिलों में क्रमशः धमतरी, कांकेर, कोरिया, जशपुर, बलरामपुर, बलौदाबाजार, गरियाबंद, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, बीजापुर, नारायणपुर, कोण्डागांव एवं सुकमा में आजाक प्रकोष्ठ स्थापित होकर संचालित हैं।

उपरोक्त मामलों में त्वरित कार्यवाही हेतु प्रदेश में विशेष न्यायालय 11 जिलों में यथा रायपुर, दुर्ग, राजनांदगाँव, जगदलपुर, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर, जशपुर, कोरबा, कोरिया एवं रायगढ़ में स्थापित किए जाकर कार्यरत है।

- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत जिला जांजगीर-चांपा, जशपुर, कोरबा, कोरिया (बैकुण्ठपुर) एवं रायगढ़ जिला मुख्यालयों में विशेष न्यायालयों की स्थापना हेतु प्रति न्यायालय 10 पद के मान से विशेष न्यायाधीश (एट्रो.) एवं स्टाफ के पद सहित कुल 50 पद स्वीकृत किए गए हैं।
- अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) सहायता एवं पुनर्वास, अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन, अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर आयोजन संबंधी योजनाएँ केन्द्र प्रवर्तित योजानाएँ हैं, जो कि 50 प्रतिशत केन्द्रांश एवं 50 प्रतिशत राज्यांश से क्रियान्वित की जाती है।

राहत एवं पुनर्वास सहायता :-

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत पीड़ितों को राहत एवं पुनर्वास सहायता हेतु वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवंटन राशि रु. 160.00 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

अस्पृश्यता निवारणार्थ सद्भावना शिविर :-

अनुसूचित जातियों के विकास एवं कल्याण तथा उनके प्रति अस्पृश्यता के कलंक को मिटाने हेतु जिला एवं ब्लाक स्तर पर सद्भावना शिविरों का आयोजन किया जाता है। जिसका मुख्य उद्देश्य ऐसी रूढ़ियों और व्यक्तियों के विरूद्ध स्वच्छ निर्मल एवं सामाजिक वातावरण बनाने की पहल है। सामान्यतः सद्भावना शिविर का आयोजन 02 अक्टूबर देश/प्रदेश के अन्य अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महापुरुषों की जन्मतिथि/जयंती पर किया जाना है।

अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गत सद्भावना शिविर के आयोजन हेतु वर्ष 2016-17 में प्राप्त आवंटन राशि रु. 10.00 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है।

अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना :-

इस योजना का मूल उद्देश्य अस्पृश्यता उन्मूलन की दशा में सवर्ण लड़के या लड़की द्वारा अनुसूचित जाति के लड़के या लड़की से विवाह कर उठाए गए आदर्श कदम हेतु पुरस्कृत एवं सम्मानित करना है। राज्य शासन द्वारा योजनांतर्गत 06 जुलाई 2011 से प्रति दंपत्ति रुपए 50000/- पुरस्कार की राशि दिए जाने का प्रावधान है।

वर्ष 2016-17 अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के अंतर्गतअंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु प्राप्त आवंटन राशि रु. 32.00 लाख जिलों को जारी किया गया है। जिसके व्यय की कार्यवाही जिलों में की जा रही है। अब आबंटन उपलब्ध नहीं रहने की दशा में भी आवश्यक राशि का आहरण किये जा सकने की सुविधा दे दी गई है।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति राहत योजना :-

- विपत्ति किसी को बताकर नहीं आती। जब आती है तो गरीब एवं असहाय लोगों को और दुर्बल बना देती है। ऐसी विपत्ति के समय पर प्रदेश के आदिवासी एवं अनुसूचित जाति वर्ग के विपत्ति प्रभावित व्यक्तियों को जिला कलेक्टर के द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है, जिसे आदिवासी अनुसूचित जाति राहत योजना के नाम से जाना जाता है। इस योजना के अंतर्गत विगत 2014-15 से निम्नानुसार व्यक्तियों को राहत सहायता प्रदान कर लाभांवित किया गया :-

क्रमांक	वर्ष	वित्तीय उपलब्धि	भौतिक उपलब्धि
1	2014-15	333.07 लाख	621 व्यक्ति
2	2015-16	141.45 लाख	531 व्यक्ति
3	2016-17 (दिसंबर की स्थिति में)	229.94 लाख	191 व्यक्ति

मैनुअल स्केवेंजर्स के सर्वेक्षण :-

छत्तीसगढ़ शासन हाथ से मैला ढुलाई की अमानवीय कुप्रथा को पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है। हाथ से मैला ढुलाई के रूप में रोजगार के नियोजन का प्रतिषेध एवं उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 की धारा 36 के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन द्वारा नियम दिनांक 04.03.2014 को अधिसूचित किया जाकर छत्तीसगढ़ राज्य में लागू किया गया है। जिसके अंतर्गत प्रदेश में नगरीय निकायों में अस्वच्छ शौचालयों के सर्वेक्षण का कार्य सभी 169 नगरीय निकायों में किया गया है तथा 4391 अस्वच्छ शौचालय चिन्हांकित किए गए हैं जिनमें से दिसंबर 2015 तक 3184 अस्वच्छ शौचालयों को स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित किया जा चुका है। शेष अस्वच्छ शौचालयों को मार्च 2015 तक स्वच्छ शौचालयों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रखा गया है। छ0ग0 राज्य के जिला मुंगेली में 03 मैनुअल स्केवेंजर्स सर्वे में पाए गए थे जिन्हें नगरीय प्रशासन विकास विभाग द्वारा पुर्नस्थापित की जा चुकी है। छ0ग0 राज्य में वर्तमान में कोई मैनुअल स्केवेंजर नहीं है।

प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना :-

केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास हेतु वर्ष 2015-16 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना लागू की गई है। जिसके क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों का एकीकृत विकास हेतु गाइड लाईन तथा केन्द्रांश जारी किया गया है।

उक्त योजनांतर्गत छ0ग0 राज्य के जिला बेमेतरा में 30, बलौदाबाजार में 40, जांजगीर-चांपा में 30, बिलासपुर में 35 तथा मुंगेली में 40 ग्राम इस प्रकार 175 ग्रामों का चयन किया गया है। चयनित ग्रामों में अनुसूचित जाति के परिवारों की मूलभूत आवश्यकताएँ यथा - आवास, पेयजल, विद्युत, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सामाजिक, आर्थिक विकास इत्यादि तथा चयनित ग्रामों में उपलब्ध/आवश्यक अधोसंरचना के संबंध में ग्रामवार बेस लाईन सर्वेक्षण कर विलेज डेव्हलपमेंट प्लान तैयार किया जाकर

विकास किया जाएगा। उक्त योजनांतर्गत कुल राशि रु. 4175.00 लाख का आवंटन उपलब्ध हुआ है। जिसमें से उक्त योजना के क्रियान्वयन हेतु संबंधित जिलों को प्रथम चरण में राशि रु. 4010.00 लाख का आवंटन जारी किया गया है।

सम्मान एवं पुरस्कार :-

छ.ग. शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग योजनांतर्गत शहीद वीर नारायण सिंह, स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते एवं गुरूघासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार हेतु विज्ञापन के माध्यम से प्रविष्टियाँ आमंत्रित की जाती है। प्राप्त प्रविष्टियों के आधार पर विभाग द्वारा गठित निर्णायक मण्डल द्वारा पात्र व्यक्ति/संस्था का चयन कर पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कारों का विवरण निम्नानुसार है :-

शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान पुरस्कार :- छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को पुरस्कृत किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में श्री सैन कुमार मण्डावी, आत्मज श्री स्व. अमर सिंह मण्डावी, ग्राम भानपुरी पोस्ट देमार, तहसील धमतरी जिला धमतरी छत्तीगसगढ़ को पुरस्कार दिया गया है।

स्व. डॉ. भंवर सिंह पोर्ते स्मृति आदिवासी सेवा सम्मान पुरस्कार :- छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासियों की सेवा करने और उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले किसी एक संस्था को सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में पुरखा के सुरता जन कल्याण समिति ग्राम चारभाठा, पो. सुरपा, तहसील पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है।

गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार :- छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा अनुसूचित जाति वर्गो के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति एवं स्वैच्छिक संस्थाओं को पुरस्कृत कर प्रोत्साहित करने के लिये प्रदेश के महान संत गुरूघासीदास की स्मृति में सम्मानित कर प्रोत्साहित किया जाता है। पुरस्कार राशि रू. 2.00 लाख एवं प्रशस्ति पत्र राज्योत्सव पर प्रत्येक वर्ष दिया जाता है। वर्ष 2016-17 में श्रीमती समे बाई शास्त्री पति श्री फूलचंद ग्राम कोहका पोस्ट नेवरा तहसील तिल्दा जिला रायपुर छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है।

लोक कला महोत्सव :-

1. शहीद वीर नारायण सिंह लोककला महोत्सव :-

- शहीद वीर नारायण सिंह की स्मृति में उनके शहादत दिवस 10 दिसम्बर को शहीद वीर नारायण सिंह लोक कला महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष उनके जन्म स्थान सोनाखान भवन जिला बलौदा बाजार में किया जाता है। इसके अंतर्गत आदिवासियों की लोक नृत्य प्रतियोगिता राज्य स्तर पर आयोजित की जाती है।
- प्रतियोगिता में सम्मिलित आदिवासी लोक कला दल को प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख, द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि 0.25 लाख दिया जाता है।

- उपर्युक्त महोत्सव का उद्देश्य शहीद वीर नारायण सिंह की शहादत को चिरस्मरणीय बनाना तथा आदिवासी लोक कला एवं संस्कृति को प्रोत्साहित करना है।
- वर्ष 2016-17 में योजनांतर्गत राशि रू. 90.00 लाख का बजट प्रावधान हैं।

2. गुरु घासीदास लोककला महोत्सव -

- वित्तीय वर्ष 2007-08 से "गुरूघासीदास लोक कला महोत्सव" का आयोजन किया जा रहा है।
- योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के परम्परागत लोककला जैसे-पंथी, भरथरी, पंडवानी, पारम्परिक वाद्ययंत्रों को प्रोत्साहित किया जाना है।
- इस योजना के अंतर्गत चयनित प्रथम पुरस्कार राशि रू. 1.00 लाख द्वितीय पुरस्कार राशि रू. 0.75 लाख तथा तृतीय पुरस्कार राशि रू. 0.50 लाख पुरस्कार दिये जाते है।
- गुरूघासी दास लोक कला महोत्सव अंतर्गत जिला स्तर से चयनित लोक कला दलों को राज्य के किसी भी जिले में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजन कर पुरस्कृत किया जाता है।
- वर्ष 2016-17 में योजनांतर्गत राशि रू. 30.00 लाख का बजट प्रावधान हैं।

आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना :-

आदिवासी संस्कृति का परिरक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासियों के सांस्कृतिक वाद्य यंत्र खरीदने हेतु अनुदान स्वरूप प्रति दल राशि रु. 10000/- दिये जाने का प्रावधान है। वर्ष 2015-16 में कुल राशि रु. 73.67 लाख व्यय की जाकर कुल 730 आदिवासी सांस्कृतिक दलों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 2016-17 में राशि रु. 75.00 लाख का बजट प्रावधान उपलब्ध है।

जनजातियों के पूजा स्थल (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास :-

आदिवासी संस्कृति का परिक्षण एवं विकास योजनांतर्गत आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में पूजा स्थलों एवं श्रद्धा स्थलों (देवगुड़ी) के निर्माण एवं मरम्मत हेतु वर्ष 2006-07 से योजना संचालित हैं। योजनांतर्गत देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत हेतु प्रति देवगुड़ी राशि रु. 50000/- उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 2015-16 में 565 देवगुड़ी निर्माण/मरम्मत के लिये राशि रु. 282.50 लाख बजट आबंटन जिलों को उपलब्ध कराया गया है। वर्ष 2016-17 में योजनांतर्गत राशि रु. 300.00 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित रायपुर का गठन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी (पुर्नगठन और निर्माण) अध्यादेश क्रमांक-2000 (मध्यप्रदेश अध्यादेश क्रमांक-04 सन्-2000) के अन्तर्गत किया गया है। निगम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग तथा सफाई कामगार वर्ग के आर्थिक विकास के दायित्व का निर्वहन कर रहा है। राज्य शासन द्वारा प्रदेश के युवा बेरोजगारों को प्रशिक्षण हेतु उद्यमी विकास संस्थान की समस्त इकाइयों एवं पूर्व में विभाग द्वारा संचालित प्रशिक्षण सह-उत्पादन केन्द्रों का विलय इस निगम में कर दिया गया है। इस निगम की पूंजी का 51 प्रतिशत राज्य की अंशपूंजी हिस्सा एवं 49 प्रतिशत केन्द्रीय अंशपूंजी हिस्सा है। निगम द्वारा छ.ग. राज्य के निर्धारित मापदण्ड में आने वाले हितग्राही क्रमशः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सफाई कामगार वर्ग के उत्थान में वित्तीय ऋण सहायता निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत दी जाती है।

छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम की योजनाएँ एवं प्रगति विवरण 2016-17

(राशि लाख में)

क्रं.	योजना का नाम	भौतिक उपलब्धि हितग्राही	वित्तीय उपलब्धि दिसम्बर-2016
1.	राष्ट्रीय सफाई कामगार वित्त निगम प्रवर्तित योजना	1	10.00
2.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त निगम प्रवर्तित योजना	78	310.45
3.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त निगम प्रवर्तित योजना	5	5.00
4.	राष्ट्रीय अल्पसंख्यक वित्त निगम प्रवर्तित योजना	1	6.00
5.	राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त निगम प्रवर्तित योजना	48	116.75
6.	अन्त्योदय स्वरोजगार योजना	2025	(ऋण) 810.00 (अनुदान) 202.50
7.	आदिवासी स्वरोजगार योजना	1103	(ऋण) 441.20 (अनुदान) 100.30
8.	मिनीमाता स्वावलंबन योजना	643	913.92
9	शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन योजना	704	947.36
10	व्यावसायिक प्रशिक्षण (कम पढ़े-लिखे युवाओं का स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन) योजना (अनुसूचित जनजाति वर्ग)	465	69.75
11	व्यावसायिक प्रशिक्षण (कम पढ़े-लिखे युवाओं का स्वरोजगार हेतु कौशल उन्नयन) योजना (अनुसूचित जाति वर्ग)	261	39.15
	योग -	5334	3982.38

अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007 यथा संशोधित 2012 का क्रियान्वयन

छ.ग. राज्य में वर्ष 2008 से अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2007 यथा संशोधित 2012, का क्रियान्वयन किया जा रहा है। अधिनियम के अनुसार वन भूमि पर निवासरत वन निवासियों को कब्जे का दावा करने हेतु दिनांक 13.12.2005 कट ऑफ डेट निर्धारित की गई है।

राज्य में 31.10.2016 तक वन अधिकार के व्यक्तिगत दावों हेतु कुल 8,42,978 आवेदन पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 3,75,202 दावे स्वीकृत किये गये है एवं 3,69,368 वन अधिकार पत्र वितरित किये जा चुके है। जबकि निरस्त/अस्वीकृत दावों की संख्या 4,57,574 है। इसी प्रकार वन अधिकार के सामुदायिक दावों हेतु 23,949 आवेदन पत्र प्राप्त हुए। जिनमें से वितरित वन अधिकार पत्रों की संख्या 12,337 है, जबकि निरस्त/अस्वीकृत दावों की संख्या 7312 है। राज्य में व्यक्तिगत वन अधिकार दावों के अंतर्गत कुल 3,22,812.17 हेक्टेयर भूमि तथा सामुदायिक दावों के अंतर्गत कुल 5,20,697.36 हेक्टेयर भूमि वितरित की गई है।

यह भी उल्लेखनीय है कि शासन द्वारा सभी अस्वीकृत दावों के पुनरीक्षण के निर्देश स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण के निर्देश सभी जिला कलेक्टरों को दिये गये थे। जिसके फलस्वरूप दिनांक 30.11.2016 की स्थिति में पुनर्विचार में लिये गये कुल 4,06,825 प्रकरणों में से 30,336 दावे स्वीकृत किये गये है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य में अधिनियम का क्रियान्वयन प्रतिबद्धतापूर्वक किया जा रहा है।

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

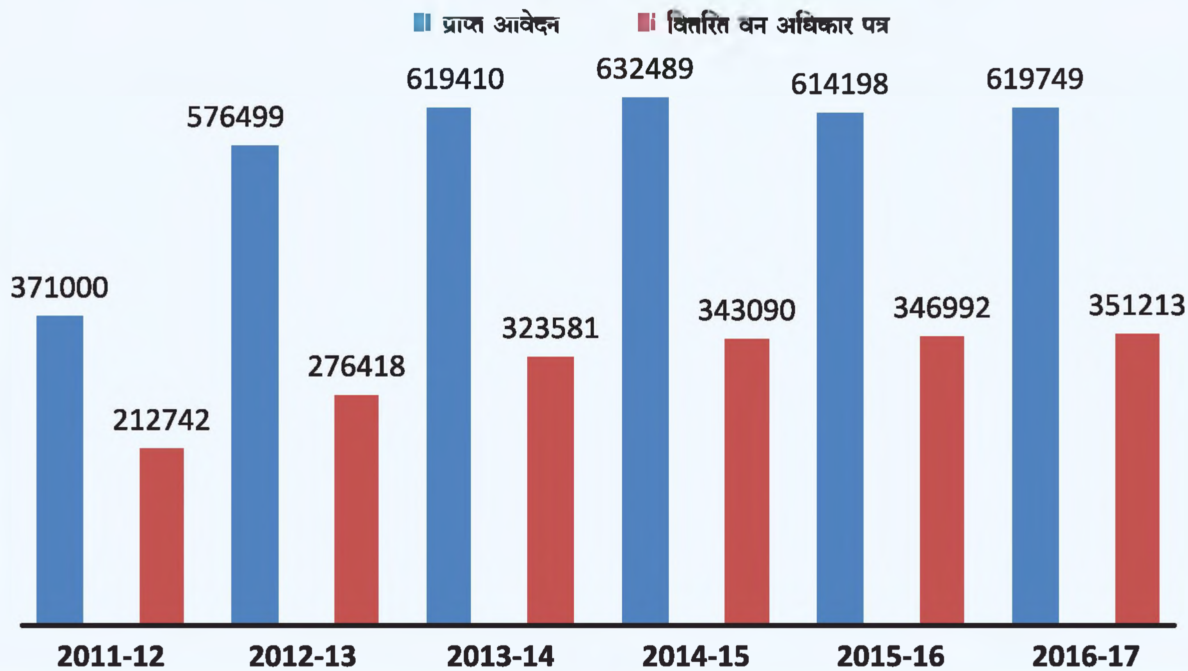

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत ओ.टी.एफ.डी. के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

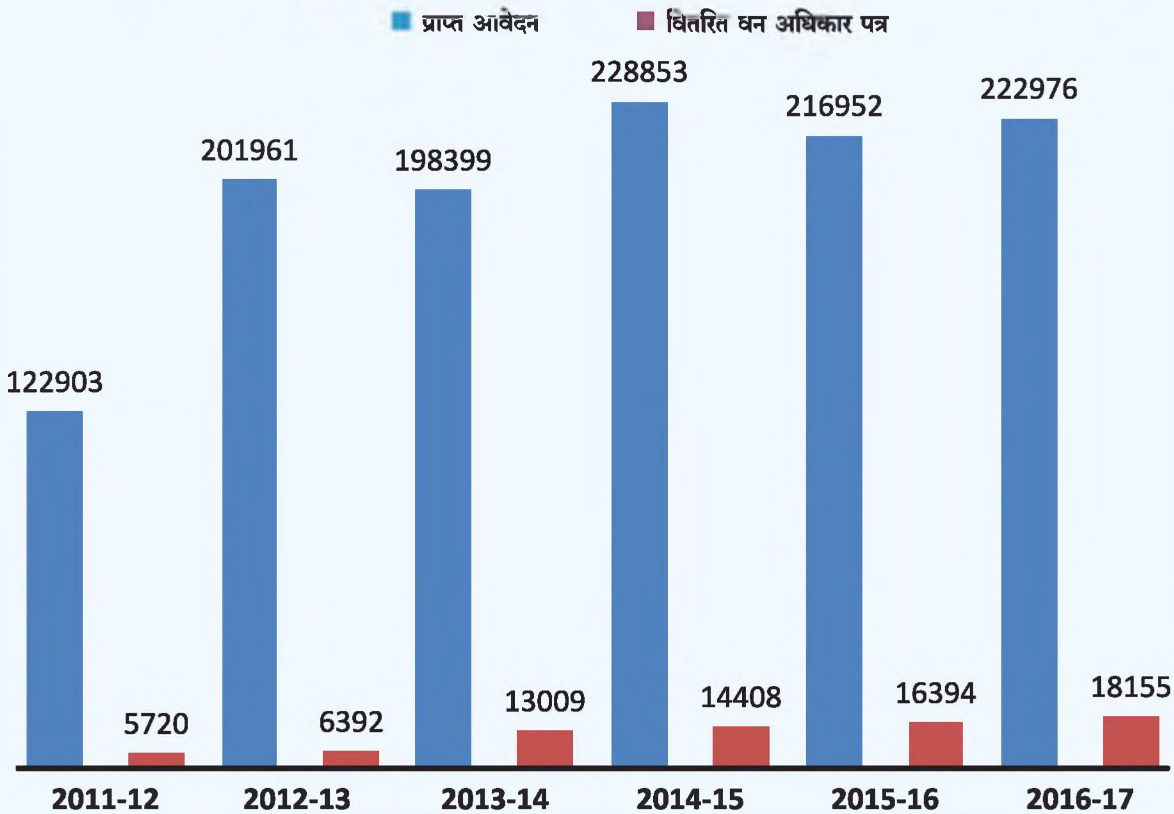

वन अधिकार अधिनियम अंतर्गत सामुदायिक वन अधिकारों के प्राप्त आवेदन एवं वितरित वन अधिकार पत्र

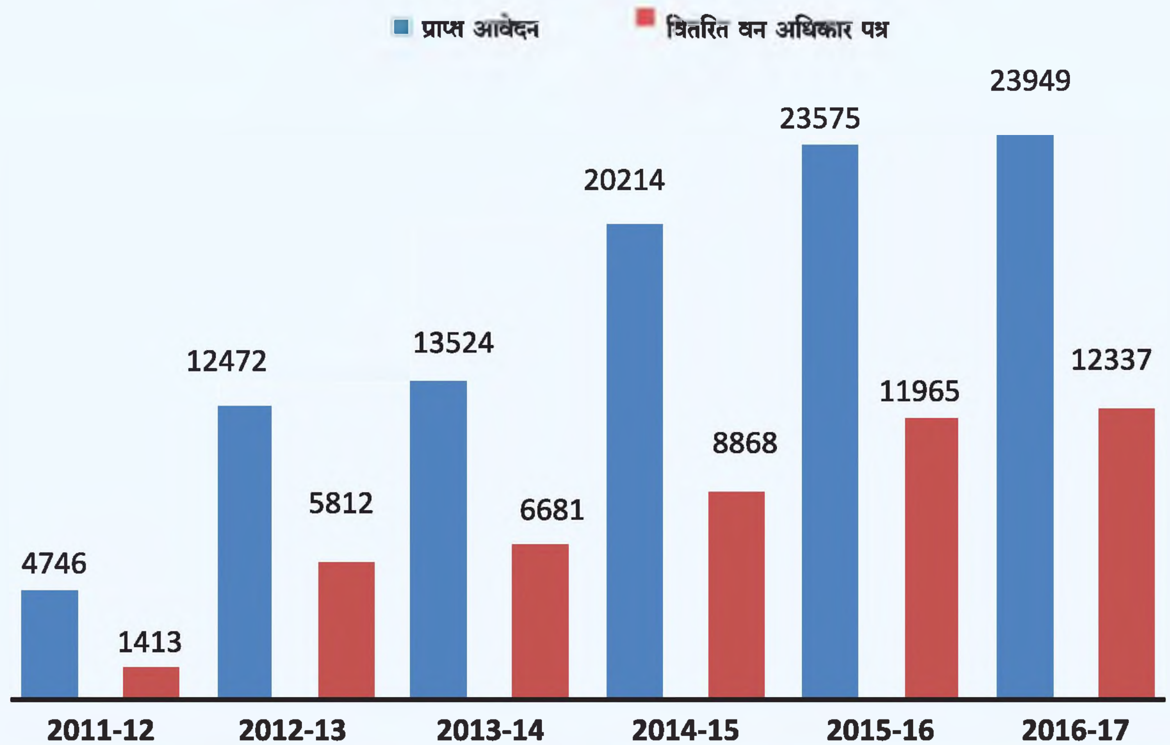

अनुसूचित जनजाति उपयोजना और अनुसूचित जाति उपयोजना

अनुसूचित जनजाति उपयोजना -

जनजातियों के सर्वांगीण विकास हेतु पांचवी पंचवर्षीय योजना काल से आदिवासी उपयोजना की रणनीति अपनाई गई। इसी रणनीति के तहत विभिन्न पंचवर्षीय योजना काल के दौरान प्रदेश की जनजातियों के विकास के लिए योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न विकास विभागों द्वारा योजनाएं क्रियान्वित की जाती रही है। आदिवासी उपयोजना के अंतर्गत जनजातियों एवं उपयोजना क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए अलग से आयोजना, वित्तीय संसाधन, बजटीय व्यवस्था, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि की संपूर्ण व्यवस्था सभी विकास विभागों के सहयोग से की जाती रही है। इन सारे कार्यो के उत्तरदायित्व का निर्वहन नोडल विभाग यथा आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा किया जाता है। आदिवासी उपयोजना के मुख्यतः दो उद्देश्य है :-

1. जनजातियों का एकीकृत ढंग से सर्वांगीण विकास करना।
2. जनजातियों की सुरक्षा एवं उन्हें हर तरह से शोषण से मुक्ति दिलाना।

आदिवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु आदिवासी उपयोजना की रणनीति के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना विकास की समस्या को कार्य दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है :-

1. वे क्षेत्र जिनमें आदिवासी जनसंख्या की बहुलता है।
2. बिखरी हुई जनजातियां।
3. विशेष पिछड़ी जनजातियां।

जनजातियों के सर्वांगीण विकास तथा उनकी जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए Area Specific Approach के अंतर्गत आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों को सुलभतापूर्वक राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से प्रत्येक विभाग के बजट में ऐसा अनुपातिक प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जनजाति उपयोजना मद की राशि का अन्यत्र/गैर उपयोजना क्षेत्र में उपयोग किए जाने की स्थिति निर्मित ना हो। इसे सुनिश्चित करने के लिए राज्य बजट में मांग संख्या 41, 42, 68, 77, 82 और 83 निर्मित की गयी हैं, जिससे प्रावधानित राशि अनुसूचित जनजाति उपयोजना (TSP) के अलावा अन्य मदों में उपयोग नहीं की जा सकती है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्रों के विकास एवं उनमें रहने वाले जनजातीय परिवारों के आय बढ़ाने वाली गतिविधियों पर पर्याप्त जोर देने के लिए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अन्य वर्गो के मध्य शैक्षणिक, सामाजिक-आर्थिक स्थिति में अंतर को Gap filling के माध्यम से दूर कर जनजातियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को उन्नत करना इसका उद्देश्य है। आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाओं के दिशा निर्देशों के अनुरूप अनुसूचित जनजाति परिवारों की आय बढ़ाने वाली योजनाओं जैसे - कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, शोषण से मुक्ति, मानव संसाधन विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन, मूलभूत संरचनाओं का विकास कार्यक्रम जैसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक योजना में कुल प्रावधानित राशि रु. 34715.45 करोड़ के विरूद्ध राशि रु. 11500.34 करोड़ अनुसूचित जनजाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है जो कि कुल Plan Outlay का बजट का 33.13 प्रतिशत है।

अनुसूचित जाति उपयोजना -

अनुसूचित जाति उपयोजना पहले विशेष घटक के रूप में जानी जाती थी। अनुसूचित जनजाति उपयोजना क्षेत्र के विकास पर आधारित अवधारणा है जबकि अनुसूचित जाति उपयोजना का उद्देश्य राज्य में निवास करने वाली अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को लाभान्वित करना है, किसी क्षेत्र विशेष को नहीं क्योंकि अनुसूचित जातियों का जनसंख्या किसी क्षेत्र विशेष में केन्द्रित न होकर विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है तथापि अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों को बुनियादी अधोसंरचना की दृष्टि से अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत लाभान्वित किया जाता है।

जिलों की मिश्रित भूमि संरचना एवं अनुसूचित जाति जनसंख्या के फैलाव/बिखराव को दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न बृहत सिंचाई, ऊर्जा एवं परिवहन की परियोजनाओं से केवल अनुसूचित जाति जनसंख्या को लाभान्वित कर पाना संभव नहीं है। इसलिये ऐसे कार्यक्रम जिनसे लक्षित समूह को सीधे लाभान्वित किया जा सके जैसे समुदाय पर आधारित संरचनात्मक कार्य पेयजल सुविधा, सामुदायिक केन्द्र, अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों/बस्तियों में सी.सी.रोड तथा कौशल उन्नयन स्वरोजगार योजना विशेष घटक योजना की अम्ब्रेला योजना अंतर्गत लिए जाते हैं। अनुसूचित जाति उपयोजना की बृहद संकल्पना से विभिन्न क्षेत्रों की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाती है। इस हेतु विभिन्न विकास विभागों के वार्षिक बजट में अनुसूचित जाति उपयोजना मद में प्रदेश की अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में बजट प्रावधान रखे जाने पर जोर दिया जाता है।

वित्तीय वर्ष 2016-17 की वार्षिक योजना में कुल प्रावधानित राशि रु. 34715.45 करोड़ के विरूद्ध राशि रु. 4879.87 करोड़ अनुसूचित जाति उपयोजना के लिए प्रावधानित की गई है जो कि कुल Plan Outlay का 14.06 प्रतिशत है। यह अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12.82 प्रतिशत (जनगणना 2011) के अनुपात से अधिक है।

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम

यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यक्रम के अंतर्गत विभाग को शिक्षा के गुणात्मक विकास के कार्यक्रमों हेतु वर्ष 2007-08 से वित्तीय सहायता प्राप्त हो रही है। वर्ष 2008-09 में द्वितीय वर्ष की कुल 1367.2418 लाख का कार्य योजना स्वीकृत है, जिसमें माध्यमिक शालाओं में फर्नीचर प्रदाय एवं विद्युतीकरण, कन्या छात्रावास/आश्रम में वाटरकूलर/प्यूरीफायर का प्रदाय, आश्रम भवनों का निर्माण, माध्यमिक शालाओं में कन्याओं के लिए शौचालय निर्माण, छात्रावास/आश्रमों में पेयजल आपूर्ति, शैक्षणिक रूप से पिछड़े विकासखण्ड मुख्यालय के एक माध्यमिक शाला को आदर्श माध्यमिक शाला के रूप में विकसित करने तथा विकासखण्ड मुख्यालय के एक माध्यमिक शाला में अंग्रेजी प्रयोग शाला की स्थापना का कार्य, एवं कक्षा 9वीं में अध्ययनरत् अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क सायकल प्रदाय किया गया है। स्वीकृत कार्य योजना राशि स्वीकृत कार्यो पर व्यय हेतु जिलों को प्रदाय की जाकर योजना का क्रियान्वयन किया गया है।

तृतीय वर्ष 2009-10 में कुल रुपए 1995.31 लाख की कार्य योजना स्वीकृत थी। जिसमें विभागीय शालाओं में फर्नीचर एवं विद्युतीकरण, आश्रम भवनों का निर्माण, छात्रावास-आश्रमों में पेयजल आपूर्ति, छात्रावास-आश्रमों में विद्युतीकरण, सरगुजा जिले के प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 3री से 5वीं तक अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं माध्यमिक शाला में अध्ययनरत विशेष पिछड़ी जनजाति विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं जूता-मोजा प्रदाय तथा कोरिया जिले में 26 आश्रम स्कूल में वाशिंग मशीन का प्रदाय, कक्षा 9वीं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति छात्राओं को निःशुल्क सायकिल प्रदाय तथा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अध्ययन दौरा का कार्यक्रम शामिल है। स्वीकृत कार्य योजना में रुपए 1988.31 लाख का आबंटन प्राप्त था। जिससे स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार योजना का क्रियान्वयन किया गया है। सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर जिले के प्राथमिक स्कूलों में कक्षा 3री से 5वी तक अध्ययनरत विद्यार्थियों एवं माध्यमिक शाला में अध्ययनरत विशेष पिछड़ी जनजाति के विद्यार्थियों को जूता-मोजा प्रदाय किया गया है।

चतुर्थ वर्ष की स्वीकृत कार्ययोजना रुपए 1178.00 लाख के विरूद्ध रुपए 730.00 लाख का आबंटन वित्तीय वर्ष 2011-12 में प्राप्त हुआ। जिसमें से कार्ययोजना अनुसार स्वीकृत विभागीय आश्रम शाला का निर्माण/विभाग अंतर्गत जारी निर्माण कार्य में सी.एस.आर. दर वृद्धि होने से अतिरिक्त राशि/छात्रावास भवन का निर्माण विज्ञान शिक्षा सुधार हेतु/विभागीय छात्रावास आश्रम भवन का मरम्मत/एकलव्य आवासीय शाला की सजावट/आदिम जाति जिलों के 10 वीं उत्तीर्ण विद्यार्थियों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना/राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय अध्ययन दौरा कार्यक्रम एवं आश्रम एवं छात्रावासी छात्राओं को सेनेटरी नेपकीन प्रदाय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु रुपए 1478.00 लाख की स्वीकृत कार्ययोजना के विरूद्ध रुपए 919.00 लाख प्राप्त हुआ। उक्त स्वीकृत योजना अनुसार आश्रम शालाओं में ट्यूबलर स्ट्रक्चर का निर्माण, दुर्ग तथा जगदलपुर में विज्ञान विकास केन्द्र के 500 सीटर भवन का निर्माण, छात्रावास आश्रम मरम्मत, एकलव्य विद्यालयों की साजसज्जा, प्रयास विद्यालय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कोचिंग प्रदान करना, हॉस्टल/आश्रम की छात्राओं को सेनेटरी नेपकीन प्रदाय एवं चयनित विभागीय छात्रावास एवं आश्रमों को आदर्श छात्रावास आश्रम के रूप में विकसित/सज्जित करने की कार्यवाही जारी है। अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। कार्यक्रम अंतर्गत वर्ष 2013-14 में नवीन कार्य के रूप में आदिवासी विकासखंडों के

हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर के विद्यार्थियों को ग्रीष्म काल में अंग्रेजी प्रशिक्षण (स्पोकन इंग्लिश एवं ग्रामर) दिया गया तथा आश्रम शाला एवं छात्रावासों के अधीक्षकों को छात्रावास/आश्रम प्रबंधन एवं संवेदनशील प्रशासन विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए स्वीकृत कार्य योजना राशि रु. 1030.00 लाख के विरूद्ध रु. 1000.00 लाख आवंटन माह अक्टूबर 2014 में प्राप्त हुआ जिसमें स्वीकृत कार्य योजना अनुसार (i) प्रदेश में संचालित 08 पुराने एवं 04 नए एकलव्य विद्यालयों की साज-सज्जा एवं कम्प्यूटरीकरण (ii) 100 विभागीय छात्रावास आश्रमों को आदर्श छात्रावास आश्रम के रूप में विकसित किया जाना (iii) 04 जिलों के विभागीय क्रीड़ा परिसरों का सुदृढ़ीकरण कर उन्नतकिया जाना (iv) जगदलपुर में विज्ञान विकास केन्द्र के 500 सीटर छात्रावास भवन का निर्माण (v) प्रयास विद्यालय के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एवं कोचिंग प्रदान किया जाना (vi) छात्रावास/आश्रमों में निवासरत छात्राओं को सेनेटरी नेपकीन का प्रदाय (vii) अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्रों का उन्नयन प्राप्त राशि से किया जा रहा है। आदिवासी विकासखंडों के हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्तर के विद्यार्थियों को ग्रीष्मकाल में अंग्रेजी प्रशिक्षण (स्पोकन इंग्लिश एवं ग्रामर) दिए जाने तथा छात्रावास/आश्रम के अधीक्षकों को छात्रावास/आश्रम प्रबंधन एवं संवेदनशील विषयों पर प्रशिक्षण/विभागीय हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी विद्यालयों में विज्ञान एवं गणित विषय के अध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण अध्यापन के संबंध में प्रशिक्षण/छत्तीसगढ़ राज्य अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के माध्यम से दिए जाने की योजना है।

वित्तीय वर्ष 2014-15 में राशि रु. 180.00 लाख मद परिवर्तन हेतु प्रस्ताव लोक शिक्षण संचालनालय को प्रेषित किया गया था, जिसके विरुद्ध दिसम्बर 2016 में राशि रू. 180.00 लाख का आबंटन लोक शिक्षण द्वारा प्रदान किया गया राशि का उपयोग विज्ञान विकास केन्द्र धुरगुड़ा, जगदलपुर के निर्माण कार्य हेतु किया जा रहा है।

अप्रैल 2015 से मार्च 2016 हेतु राशि रु. 171.38 लाख की कार्य योजना राज्य स्तरीय स्टीयरिंग कमेटी द्वारा अनुमोदित की गई है जिसके विरुद्ध रू. 51.32 लाख का आबंटन दिसम्बर 2016 में प्राप्त हुआ, राशि का उपयोग विज्ञान विकास केन्द्र धुरगुड़ा के निर्माण कार्य एवं विज्ञान विकास केन्द्र, दुर्ग में विज्ञान प्रयोगशाला के निर्माण हेतु किया जा रहा है। शेष आबंटन रू. 120.38 लाख प्राप्त होने पर कार्य योजना में अनुमोदित अन्य कार्यों (1) विभागीय क्रीड़ा परिसरों का सुदृढ़ीकरण कर उन्नत किया जाना (2) प्रयास विद्यालय, रायपुर में ई लाइब्रेरी (3) विभागीय विद्यालयों के कक्षा 9 से कक्षा 12वीं तक के विद्यार्थियों को अंगेजी भाषा एवं व्याकरण का प्रशिक्षण (4) राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय भ्रमण कार्यक्रम का क्रियान्वयन किया जाएगा।

भाग – चार

आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान

परिचय -

भारत सरकार के प्रथम पंचवर्षीय योजना निर्माण के समय अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति, रीति-रिवाज, रहन-सहन तथा अन्य सांस्कृतिक व अनुसंधानिक तथ्यों के अभाव में इन वर्गों के विकास हेतु योजना निर्माण में कठिनाईयों के फलस्वरूप भारत सरकार द्वारा वर्ष 1954 में अविभाजित मध्यप्रदेश, उड़ीसा, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्य सरकारों को केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत आदिमजाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित करने के निर्देश दिये थे।

राज्य में आदिवासियों की जनसंख्या के दृष्टिगत भारत सरकार जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुशंसा अनुरूप राज्य शासन द्वारा केन्द्र प्रवर्तित योजनान्तर्गत देश की 15 वें आदिमजाति अनुसंधान संस्थान की स्थापना 02.09.2004 को राज्य में की गई। नया रायपुर में आदिम जाति अनुसंधान संस्थान के भवन एवं संग्रहालय निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

संस्थान के प्रमुख कार्य -

आदिमजाति अनुसंधान संस्थान के प्रमुख कार्य निम्नांकित है :-

- अनुसूचित जनजातियों संबंधी आधारभूत सामाजिक-आर्थिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन एवं सर्वेक्षण करना।
- अनुसूचित जनजातियों में व्याप्त समस्याओं का अध्ययन कर इनके निराकरण हेतु शासन को सुझाव देना।
- अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु शासन द्वारा संचालित योजनाओं का मूल्यांकन करना।
- अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की सूची में शामिल करने संबंधी प्राप्त अभ्यावेदनों के संदर्भ में जातियों का इथनोलाजिकल, एन्थ्रोपोलॉजिकल परीक्षण कर शासन को अभिमत देना।
- अनुसूचित जनजातियों की समस्याओं के निराकरण हेतु देश के प्रमुख विषय-विशेषज्ञों को आमंत्रित कर राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला एवं संगोष्ठियों का आयोजन करना।
- आदिवासी हितों के संरक्षण हेतु बनाये गये विभिन्न अधिनियमों तथा जनजातीय विकास से संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी देने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना आदि।

संस्थान द्वारा वर्ष 2016-17 में प्रस्तावित कार्ययोजना के तारतम्य में दिनांक 20.01.2017 तक संपादित किये गये कार्यों की बिन्दुवार जानकारी निम्नांकित है -

मानवशास्त्रीय अध्ययन -

कोंध	-	प्रतिवेदन पूर्ण
भैना	-	प्रतिवेदन पूर्ण
कंवर	-	प्रतिवेदन पूर्ण
पहाड़ी कोरवा	-	प्रतिवेदन पूर्ण

बियार/ब्यार - प्रतिवेदन पूर्ण

बिंझवार - प्रतिवेदन पूर्ण

बिरहोर - प्रतिवेदन पूर्ण

नृजातीय परीक्षण अध्ययन -

दुसाध-पासवान अनुसूचित जाति - पूर्नअध्ययन का कार्य पूर्ण, प्रतिवेदन लेखन का कार्य प्रगति पर।

भरिया/भारिया अनुसूचित जनजाति - अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण।

बियार/ब्यार अनुसूचित जनजाति - अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण।

दोरला जनजाति - अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण।

लांजा जाति - अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण।

कोंध, कोंद जाति - अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण।

कोड़ा जाति - अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण।

मंगिया जाति - अध्ययन प्रतिवेदन का कार्य पूर्ण।

मोनोग्राफिक अध्ययन -

बियार अनुसूचित जनजाति - प्रथागत कानून का अध्ययन पूर्ण।

बिरहोर अनुसूचित जनजाति - प्रथागत कानून का अध्ययन पूर्ण।

पहाड़ी कोरवा अनुसूचित जनजाति - प्रथागत कानून का अध्ययन पूर्ण।

बस्तर दशहरा - प्रतिवेदन लेखन का कार्य पूर्ण।

बस्तर का आदिवासी हाट बाजार - प्रतिवेदन लेखन का कार्य पूर्ण।

सर्वेक्षण -

1. संस्थान द्वारा राज्य की विशेष पिछड़ी जनजाति यथा कमार, बैगा, पहाड़ी कोरवा बिरहोर एवं अबुझमाड़िया का आधारभूत सर्वेक्षण कार्य किया जा रहा है। सर्वेक्षण कार्य की अद्यतन स्थिति निम्नांकित है -

क्रं.	P.V.T.G. का नाम	जिला	विकासखण्ड	वर्तमान में सर्वेक्षित ग्रामों की संख्या	वर्तमान में सर्वेक्षित परिवारों की कुल संख्या	कुल जनसंख्या			रिमार्क
						पुरूष	महिला	योग	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	बैगा	कबीरधाम	बोड़ला	190	6635	13313	13188	26501	
			पंडरिया	78	4625	8532	8577	17109	
		मुंगेली	लोरमी	46	2358	4202	4172	8374	

		बिलासपुर	कोटा	33	1520	2616	2536	5152	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण
			गौरेला	17	2095	3286	3204	6490	
			तखतपुर	2	60	110	134	244	
		राजनांदगांव	छुईखदान	39	1348	2183	2174	4357	
		कोरिया	मनेन्द्रगढ़	23	435	793	736	1529	
			खड़गवा	24	355	638	585	1223	
			भरतपुर	84	5174	8195	8447	16642	
योग				**536**	**24605**	**43868**	**43753**	**87621**	
2	पहाड़ी कोरवा	बलरामपुर	कुसमी	0	0	0	0	0	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
			शंकरगढ़	0	0	0	0	0	
			राजपुर	0	0	0	0	0	
			बलरामपुर	0	0	0	0	0	
		सरगुजा	मैनपाट	0	0	0	0	0	
			लुण्ड्रा	0	0	0	0	0	
			अम्बिकापुर	0	0	0	0	0	
			लखनपुर	0	0	0	0	0	
			सीतापुर	0	0	0	0	0	
			बतौली	0	0	0	0	0	
			उदयपुर	0	0	0	0	0	
		जशपुर	मनोरा	18	238	504	525	1029	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण
			बगीचा	113	2283	4121	4076	8197	
			कुनकुरी	1	9	0	0	0	सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर
		कोरबा	कोरबा	0	0	0	0	0	
			पोड़ी उपरोड़ा	0	0	0	0	0	
योग				**132**	**2530**	**4625**	**4601**	**9226**	
3	कमार	गरियाबंद	गरियाबंद	71	2006	3425	3585	7010	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण
			छुरा	59	1092	2085	1998	4083	
			मैनपुर	51	1437	2267	2331	4598	
			फिंगेश्वर	18	205	361	357	718	
		बलौदाबाजार	कसडोल	2	40	77	80	157	
		कांकेर	नरहरपुर	13	79	148	148	296	

		महासमुंद	बागबाहरा	32	390	690	696	1386	
			पिथौरा	2	44	86	82	168	
			महासमुंद	41	461	819	867	1686	
		धमतरी	नगरी	88	1243	2324	2412	4736	
			मगरलोड़	26	448	821	821	1642	
			धमतरी	5	20	37	41	78	
		कोण्डागांव	बड़ेराजपुर	1	10	20	17	37	
योग				**409**	**7475**	**13160**	**13435**	**26595**	
4	बिरहोर	जशपुर	कुनकुरी	1	22	0	0	0	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण सारणीयन का कार्य प्रगति पर
			दुलदुला	1	16	0	0	0	
			कांसाबेल	4	29	0	0	0	
			बगीचा	4	60	0	0	0	
			फरसाबहार	0	0	0	0	0	
			पत्थलगांव	2	34	0	0	0	
		रायगढ़	धरमजयगढ़	16	217	328	356	684	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण
			घरघोड़ा	2	10	0	0	0	सारणीयन का कार्य प्रगति पर
			तमनार	3	49	63	80	143	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण
			लैलूंगा	3	23	37	47	84	
		कोरबा	कोरबा	9	145	224	222	446	
			पोड़ीउपरोड़ा	12	188	281	278	559	
			पाली	11	159	248	273	521	
			करतला	3	13	19	21	40	
		बिलासपुर	कोटा	4	104	163	172	335	
			मस्तुरी	2	39	56	67	123	
योग				**77**	**1108**	**1419**	**1516**	**2935**	
5	अबुझमाड़िया	नारायणपुर	ओरछा	199	4617	10864	11263	22127	सर्वेक्षण कार्य पूर्ण
			नारायणपुर	14	149	338	381	719	
योग				**199**	**4613**	**11202**	**11644**	**22846**	
महायोग				**1353**	**40331**	**74274**	**74949**	**149223**	

2. भुंजिया विकास अभिकरण गरियाबंद क्षेत्र के बाहर के विकासखण्डों यथा देवभोग, फिंगेश्वर, महासमुंद, बागबाहरा एवं मगरलोड में निवासरत कुल 514 भुंजिया परिवारों का सर्वेक्षण कार्य पूर्ण किया गया है। जिसका विश्लेषण एवं प्रतिवेदन लेखन का कार्य प्रगति पर है।

प्रकाशन –

राज्य के जनजातियों में प्रचलित बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से निम्नांकित बोलियों पर आधारित वार्तालाप निर्देशिका एवं शब्दकोश तैयार किया गया है –

1. कुडुख बोली वार्तालाप संक्षेपिका
2. हिन्दी-भतरी शब्दकोश
3. हिन्दी-भतरी वार्तालाप संक्षेपिका
4. हिन्दी-हल्बी शब्दकोश
5. हिन्दी-परजा शब्दकोश

त्रैमासिक पत्रिका का प्रकाशन –

राज्य के जनजातियों में प्रचलित बोलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के उद्देश्य से जनजातीय बोलियों को जीवंत बनाए रखने हेतु संस्थान द्वारा स्थानीय बोलियों में ही विचार, लेख, लोक-गीत, लोककथा आमंत्रित कर त्रैमासिक पत्रिका "आदि गोठ" का प्रकाशन किया गया है तथा इसमें रूचि रखने वाले अथवा जानकार व्यक्तियों से आलेख निरंतर आमंत्रित है।

राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव में सहभागिता –

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 25 से 28 अक्टूबर 2016 तक नई दिल्ली में आयोजित ट्राइबल कार्निवाल में सहभागिता दी गई। संस्थान द्वारा उक्त महोत्सव में राज्य के बैगा, दण्डामी माडिया एवं धुरवा जनजातियों के नर्तक दलों, काष्ठकला एवं परम्परागत चिकित्सा कला, राज्य की जनजातीय संस्कृति से संबंधित आभूषण एवं छायाचित्रों का प्रदर्शन किया गया।

प्रशिक्षण –

संस्थान द्वारा निम्नांकित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गये –

1. सरगुजा जिले के मैनपाट में राज्य की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग जातियों एवं उनके आरक्षण संबंधी प्रावधान, राज्य एवं केन्द्र सरकार के नियम एवं निर्देश संबंधी प्रशिक्षण एवं वन अधिकार अधिनियम, अनु.ज.जा. अत्याचार निवारण अधिनियम, जनजातीय जागरूकता सम्मेलन में सहभागिता दी गई।
2. सरगुजा, बस्तर एवं रायपुर संभाग में पृथक-पृथक तिथियों में जाति प्रमाण-पत्र जारी करने, अत्याचार निवारण अधिनियम एवं वन अधिकार अधिनियम के संबंध में संबंधित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।
3. संस्थान की संभागीय क्षेत्रीय ईकाईयों बस्तर, सरगुजा एवं बिलासपुर द्वारा विधिक परामर्श सह प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर संबंधित अधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया गया।

जाति प्रमाण पत्रों की जांच -

संस्थान में राज्य शासन द्वारा गठित जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति को फर्जी जाति प्रमाण-पत्रों की जांच से संबंधित अब तक कुल 580 प्रकरण प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 492 प्रकरणों पर कार्यवाही पूर्ण करते हुए 466 प्रकरणों में आदेश पारित किये जा चुके हैं तथा शेष 26 प्रकरणों में सुनवाई पूर्ण की गई है जिनकें आदेश जारी किये जा रहे है। आदेश पारित प्रकरणों में 221 जाति प्रमाण-पत्र सही पाये गये एवं 245 जाति प्रमाण-पत्र गलत पाये गये। जांच हेतु 114 प्रकरण शेष है जिसमें से 93 प्रकरण जाति प्रमाण-पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति के विजिलेंस सेल के पास अन्वेषणाधीन है। शेष 21 प्रकरणों में सुनवाई प्रक्रिया जारी है।

छानबीन समिति द्वारा वर्ष 2015-16 में दिनांक 01.04.2016 से 20.01.2017 तक माननीय उच्चतम न्यायालय एवं छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी सामाजिक प्रास्थिति प्रमाणीकरण विनियमन नियम, 2013 में विहित प्रावधान एवं दिशा-निर्देशों का अनुसरण करते हुए 50 प्रकरणों पर आदेश पारित किये गये है जिनमें से 10 जाति प्रमाण-पत्र सही एवं 40 जाति प्रमाण-पत्र गलत पाये गये।

आदिवासी एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

छ0ग0 राज्य के गठन के तत्काल पश्चात् राज्य शासन द्वारा यह महसूस किया गया है कि राज्य को आदिवासी अंचल एवं अनुसूचित जाति बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विकास प्राधिकरण का गठन किया जाए। फलस्वरूप आदिवासी अंचलों के विकास हेतु :-

अ. बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

ब. सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण का गठन राज्य शासन के आदेश क्र./एफ7-5/04/01/06, दिनांक 20 मई 2004 द्वारा किया गया।

1. गठन एवं विस्तार :-

प्रारंभ मे बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत जिला बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर एवं कोण्डागांव ही सम्मिलित किए गए थे, बाद में इसका क्षेत्र विस्तार कर धमतरी जिले का नगरी, दुर्ग जिले का डौण्डीलोहारा, राजनांदगांव जिले का राजनांदगांव एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्र को विकास प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किया गया। साथ ही साथ राजनांदगांव जिले का "नचनिया" एवं जिला कवर्धा का "माडा" एवं गरियाबंद जिले का क्षेत्र भी प्राधिकरण क्षेत्र अंतर्गत सम्मिलित किए गए।

सरगुजा विकास प्राधिकरण अंतर्गत प्रारंभ में जशपुर, सरगुजा, बलरामपुर, सुरजपूर एवं कोरिया जिला ही सम्मिलित किया गया था, बाद में इस प्राधिकरण क्षेत्र का विस्तार करते हुए जिला कोरबा (पूर्ण राजस्व जिला) रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ एकीकृत विकास परियोजना एवं बिलासपुर जिले का गौरेला परियोजना तथा मुंगेली एवं कवर्धा जिले क्षेत्र को सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सम्मिलित किया गया।

2. उद्देश्य :-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत प्राधिकरण क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदाय के विकास हेतु अल्पकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं के निर्माण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा तथा अनुश्रवण किया जाता है। क्षेत्र में निवासरत् जनजाति समुदायों के आर्थिक विकास, संस्कृति के संरक्षण, क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम तथा अंचल के विकास हेतु प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार लाने हेतु कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है।

3. बजट प्रावधान :-

आदिवासी विकास प्राधिकरणों के अंतर्गत वर्ष 2015-16 में लिए जाने वाले कार्यों हेतु पूंजीगत एवं राजस्व मद मिलाकर कुल रूपये 3500.00 लाख का प्रावधान प्रत्येक प्राधिकरण में किया गया है। जिसके अंतर्गत विकास कार्यों की स्वीकृति मुख्यमंत्री सचिवालय प्राधिकरण प्रकोष्ठ से की जाती है। वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2016-17 (नवम्बर 2016 की स्थिति में) अंतर्गत आदिवासी विकास प्राधिकरणों हेतु प्रावधानित राशि के विरूद्ध स्वीकृत राशि का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है :-

बस्तर एव दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

वर्ष	प्रावधान (लाखों में)	पुनरावंटन (लाखों में)
1	2	3
2004-05	1300.00	1269.431
2005-06	2500.00	2500.00
2006-07	2700.00	2700.00
2007-08	4000.00	3979.456
2008-09	4000.00	3996.42
2009-10	3500.00	3436.126
2010-11	3500.00	3500.00
2011-12	5000.00	4997.56
2012-13	3700.00	3698.59
2013-14	3700.00	3687.40
2014-15	4000.00	3994.52
2015-16	3500.00	3500.00
2016-17	4379.60	2191.58

सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण

वर्ष	प्रावधान (लाखों में)	पुनरावंटन (लाखों में)
1	2	3
2004-05	1300.00	1300.00
2005-06	2500.00	2417.00
2006-07	2500.00	2491.005
2007-08	3700.00	3699.996
2008-09	3500.00	3489.94
2009-10	3500.00	3436.65
2010-11	3500.00	3499.14
2011-12	3500.00	3499.70
2012-13	4040.00	3798.65
2013-14	3700.00	3699.72
2014-15	4000.00	3999.67
2015-16	3500.00	3498.73
2016-17	4653.30	2409.87

4. अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन :-

राज्य के अनुसूचित जाति क्षेत्रों के विकास हेतु राज्य शासन के आदेश क्र/एफ-7-9/04/ 1/06, दिनांक 23.10.2004 द्वारा अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का गठन किया गया है।

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण का क्षेत्र :-

प्राधिकरण गठन के साथ-साथ अनुसूचित जाति बाहुल्य जिलों को अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण में सम्मिलित किया गया है, जिसमें जांजगीर-चांपा, बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, दुर्ग, कवर्धा, महासमुन्द, कोरबा, बालोद, बेमेतरा, बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, राजनांदगांव पूर्ण रूप से एवं अनुसूचित जनजाति जिलों को भी मांग के अनुसार राशि प्रदाय किया जा रहा है।

प्रावधान :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत राज्य शासन द्वारा 25 प्रतिशत तक अनुसूचित जाति जनसंख्या बाहुल्य क्षेत्रों में भी आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्य स्वीकृत किए जाते है। अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण अंतर्गत वर्ष 2004 से नवम्बर 2016 तक बजट प्रावधान एवं उसके विरूद्ध दी गई स्वीकृति राशि की जानकारी वर्षवार निम्नानुसार है :-

अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण

वर्ष	प्रावधान (लाखों में)	पुनरावंटन (लाखों में)
1	2	3
2004-05	400.00	360.42
2005-06	2000.00	1991.994
2006-07	2000.00	2000.00
2007-08	3500.00	3498.25
2008-09	3500.00	3492.314
2009-10	3500.00	3477.174
2010-11	3500.00	3498.94
2011-12	3500.00	3976.19
2012-13	4040.00	3999.995
2013-14	3700.00	3698.72
2014-15	3700.00	3699.472
2015-16	3500.00	3499.93
2016-17	4663.60	2377.58

बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष के पद पर माननीय श्री भोजराज नाग विधायक विधानसभा क्षेत्र अंतागढ़, जिला-कांकेर, सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर माननीय श्री राजशरण भगत विधायक विधानसभा क्षेत्र जशपुर, जिला-जशपुर एवं अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष पद पर माननीय श्री सनम जांगड़े विधायक विधानसभा क्षेत्र बिलाईगढ़, जिला-बलौदाबाजार भाटापारा को नामांकित किया गया है। प्राधिकरण के द्वारा निर्धारित नीतियों, लिए गए निर्णयों, जारी आदेश एवं निर्देश, प्राधिकरण के सदस्य-सचिव के हस्ताक्षर से जारी किए जाते हैं।

भाग – पाँच

अभिनव योजनाएँ

1. प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की कोचिंग योजना :-

राज्य के आदिम जाति/अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को उत्कृष्ठ इंजीनियरिंग/मेडिकल संस्थाओं में प्रवेश दिलाने के उद्देश्य से राज्य में प्री. इंजीनियरिंग एवं प्री. मेडिकल की कोचिंग योजना वर्ष 2010-11 से प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत कक्षा 12वीं में विज्ञान विषय लेकर 70 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले ऐसे विद्यार्थी जिनके पालक आयकरदाता की श्रेणी में नहीं आते है, उनको प्रवेश की प्रात्रता होती है। वर्ष 2016-17 में रू. 80.00 लाख का बजट प्रावधान है।

वर्ष 2015-16 में इस योजना के तहत 40 विद्यार्थियों को कोचिंग प्रदान गई। इनमें से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकीय संस्थान में 03, चिकित्सा पाठ्यक्रम में 05, इंजीनियरिंग-05, बी.एस.सी.-04, बी.सी.ए.-01, वेटेनरीं चिकित्सा पाठ्यक्रम-01, फिजीयोथैरेपी एवं कार्डियोंलॉजी डिप्लोमा में एक-एक छात्र प्रवेश प्राप्त कर अध्ययन कर रहे हैं।

2. आदर्श छात्रावास / आश्रमों की स्थापना :-

विभाग में संचालित छात्रावास एवं आश्रमों को विकसित (सुसज्जित) कर आदर्श संस्था बनाने के उद्देश्य से वर्ष 2009-10 में प्रत्येक जिले के 10-10 छात्रावास एवं आश्रमों का चयन कर आदर्श छात्रावास एवं आश्रम स्थापित किया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2012-13 में भी 500 छात्रावास एवं आश्रमों को आदर्श छात्रावास एवं आश्रम के रूप में स्थापित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया, जिसमें 186 छात्रावास/आश्रमों का चयन कर आदर्श छात्रावास/आश्रम के रूप में स्थापित किए गए है। इसी प्रकार वर्ष 2013-14 में 500 तथा वर्ष 2014-15 में 100 छात्रावास/आश्रम लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

3. युवा कैरियर निर्माण योजना :-

वर्ष 2003 में यह योजना परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण के नाम से संचालित थी। इस योजना अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा एवं राज्य लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु 50 सीट स्वीकृत है जो वर्तमान में रायपुर एवं भिलाई में संचालित है। इसके अतिरिक्त बैंकिग, रेल्वे, व्यापम आदि जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर में 100-100 सीट स्वीकृत है।

क्रं.	वर्ष	प्रशिक्षण केन्द्र	प्रवेशित अभ्यार्थी	विगत तीन वर्षो में विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थी
1	2015-16	रायपुर	100	श्रमनिरीक्षक, प्रोबेशनरी ऑफिसर, बैंक क्लर्क, पटवारी, सहा. ग्रेड-III डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, सब इंजीनियर एवं अन्य कुल संख्या-128
		बिलासपुर	100	
		जगदलपुर	100	

4. अखिल भारतीय सिविल सेवा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष-2009 :-

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने पर प्रोत्साहित करने हेतु प्रोत्साहन योजना वर्ष 2010-11 में प्रारंभ की गई है। इस योजना अंतर्गत निम्नानुसार प्रावधान है :-

1. संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु रूपए 1,00,000/-(रूपए एक लाख) मात्र।
2. यह राशि किसी भी प्रयास में सफल होने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी हेतु दी जाती है।
3. अंतिम रूप से सफल अभ्यर्थी को राज्य स्तर/जिला स्तर पर स्वतंत्रता दिवस/गणतंत्र दिवस समारोह में प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा।

इसके अंतर्गत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की किसी भी स्तर में होने पर संबंधित आयोग द्वारा जारी प्रमाण-पत्र या अधिकृत दस्तावेज के साथ निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्रस्तुत करने पर परीक्षण उपरान्त निम्नानुसार राशि एकमुश्त प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान की जाती है। योजनान्तर्गत अभ्यर्थी की पात्रता का परीक्षण कर स्वीकृति आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, छत्तीसगढ़ रायपुर द्वारा दी जाती है।

इस योजना अंतर्गत विगत वर्ष 01 विद्यार्थी को लाभान्वित किया गया है।

5. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्रोत्साहन योजना :-

यह योजना वर्ष 2010 में प्रारंभ की गई है। राज्य सिविल सेवा में सफल विद्यार्थियों को निम्नानुसार प्रोत्साहन राशि दी जाती है :-

प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने पर	मुख्य परीक्षा में सफल होने पर
रुपए 10,000/- (दस हजार मात्र)	रुपए 20,000/- (बीस हजार मात्र)

वर्ष 2015 में 17.70 लाख की राशि वितरित की गई। लाभान्वितो की संख्या 177 रही।

6. ट्रायबल यूथ हॉस्टल, नई दिल्ली :-

देश की राजधानी में रहकर संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा तथा अखिल भारतीय स्तर की अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए युवा कैरियर निर्माण योजना के तहत द्वारका नई दिल्ली में विभाग द्वारा ट्रायबल यूथ हॉस्टल संचालित किया जा रहा है। यह संस्था पूर्णतः आवासीय है। वर्ष 2016-17 में 59 अभ्यर्थी लाभान्वित हो रहे है।

विगत 03 वर्षो में उपलब्धि निम्नानुसार है :-

क्रं.	वर्ष	अध्ययन/कोचिंग	प्रवेशित छात्र संख्या	सफलता का विवरण	
				पद नाम	संख्या
1	2013-14	यू.पी.एस.सी./ अन्य प्रतियोगी परीक्षा/ उच्च शिक्षा	39	1. असिस्टेंट कमांडेन्ट भारत सरकार-02 2. डिप्टी कलेक्टर-03 3. डी.एस.पी.-01 4. अन्य-02	08
2	2014-15	यू.पी.एस.सी./ अन्य प्रतियोगी परीक्षा/ उच्च शिक्षा	58	1. डिप्टी कलेक्टर-03 2. मुख्य कार्यपालन अधि.-01 3. अन्य-08	12
3	2015-16	यू.पी.एस.सी./ अन्य प्रतियोगी परीक्षा/ उच्च शिक्षा	49	1. सब आर्डिनेट एकाउंट सर्विस-01 2. अन्य-04	05
योग			146		25

टीप :- 07 अभ्यर्थी यू.पी.एस.सी. प्रारंभिक परीक्षा क्वालीफाई कर यू.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा में सम्मलित हो रहे है।

7. मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना :-

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना 2010 से प्रारंभ है। उक्त योजनांतर्गत वर्ष 2016-17 में 1060.70 लाख का बजट प्रावधान है। इसके चार घटक हैं :-

1. **आस्था** :- नक्सल हिंसा से अनाथ हुए बच्चों के अध्ययन के लिए उक्त योजना संचालित की जा रही है। वर्तमान में दंतेवाड़ा जिला मुख्यालय पर 310 विद्यार्थी 1ली से 10वीं तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।
2. **निष्ठा** :- इसके तहत नक्सल पीड़ित परिवारों के 1 से 12वीं तक कुल 155 बच्चे राजनांदगाव/रायपुर जिले के 16 निजी संस्थाओं में अध्ययनरत है।
3. **प्रयास** :- नक्सल प्रभावित जिले के 10वीं उत्तीर्ण मेंघावी विद्यार्थियों को कक्षा 11वीं, 12वीं के अध्यापन के साथ-साथ आई.आई.टी./पी.एम.टी./पी.ई.टी. की कोचिंग देने हेतु रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर एवं जगदलपुर में प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित हैं। इसके अतिरिक्त कांकेर जिला मुख्यालय पर फीडर प्रयास आवासीय विद्यालय संचालित है। वर्ष 2016-17 में कुल 1606 विद्यार्थी अध्ययनरत है।
4. **सहयोग** :- इस योजना अंतर्गत 12वी उत्तीर्ण विद्यार्थीयों को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान किया जाता है।

क्रं.	वर्ष	बैच	आई.आई.टी. में प्रवेशित	एन.आई.टी में प्रवेशित	इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेशित	चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेशित
1	2010-12	प्रथम बैच	02	12	130	-
2	2011-13	द्वितीय बैच	01	20	45	01
3	2012-14	तृतीय बैच	-	08	81	03
4	2013-15	चतुर्थ बैच	06	07	84	03
5	2014-16	पंचम बैच	06	30	92	12
योग			15	77	432	19

8. आर्यभट्ट विज्ञान-वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन योजना :-

नक्सल हिंसा से प्रभावित प्रदेश के जिलों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के शिक्षको के पद रिक्त रह जाते हैं क्योंकि इस वर्ग के विद्यार्थियों की रूचि विज्ञान एवं वाणिज्य विषय में कम है। अतः इन वर्ग के विद्यार्थियों को विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के अध्ययन एवं अध्यापन को प्रोत्साहित करने हेतु विभाग द्वारा दुर्ग एवं जगदलपुर में 500-500 सीटर विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र स्थापित किया गया है। इन क्षेत्रों में शिक्षकों की

प्रयास आवासीय विद्यालय की दर्ज संख्या वर्ष 2016-17

क्रं.	प्रयास स्कूल का नाम (स्थापना वर्ष)	वर्ष 2016-17				
		अजजा	अजा	अपिव	सामान्य	योग
1	प्रयास बालक रायपुर (वर्ष 2010)	128	67	43	7	245
2	प्रयास बालिका रायपुर (वर्ष 2013)	109	62	41	4	216
3	प्रयास दुर्ग (वर्ष 2015)	124	67	44	1	236
4	प्रयास बिलासपुर (वर्ष 2015)	130	63	42	5	240
5	प्रयास जगदलपुर (वर्ष 2014)	141	56	43	3	243
6	प्रयास अंबिकापुर (वर्ष 2014)	148	51	39	10	248
	योग	780	366	252	30	1428
1	फीडर प्रयास कांकेर (वर्ष 2016)	101	42	34	2	179

प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम

पूर्ति हेतु 2013-14 से यह अभिनव योजना प्रारंभ की गई है। इसके अंतर्गत स्नातक स्तर पर गणित विषय हेतु 80, जीव विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 40 सीटे है। स्नातकोत्तर कक्षा में विज्ञान हेतु 80, वाणिज्य हेतु 20 सीटे हैं। बी.एड. हेतु कुल 200 सीट स्वीकृत है।

योजनांतर्गत चयनित विद्यार्थियों जिन्होंने स्नातक-स्नातकोत्तर शिक्षा विज्ञान एवं वाणिज्य विषयों के साथ जारी रखी है। उन्हें शिक्षक के पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्री.बी.एड. तथा टी.ई.टी. परीक्षा हेतु मार्ग दर्शन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराया जाता है।

उक्त योजना अंतर्गत 500 सीटर बालिका शिक्षण केन्द्र दुर्ग जिला मुख्यालय में 2013-14 प्रारंभ की गई है। इसमें वर्ष 2016-17 में 385 बालिकाएं प्रवेशित है तथा विज्ञान एवं वाणिज्य शिक्षण केन्द्र जगदलपुर (बालक) में 13 छात्र प्रवेशित हैं। वर्ष 2016-17 में राशि रूपये 180.22 लाख का बजट प्रावधान किया गया है।

विज्ञान वाणिज्य विकास केन्द्र (कन्या), जिला-दुर्ग

क्र.	वर्ष	प्रथम वर्ष में प्रवेशित बालिकाएं	कुल अध्ययनरत् बालिका			अध्यापन हेतु चयनित संस्था का नाम	परीक्षा परिणाम
			नवीन	नवीनीकरण	योग		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	2013-14	240	159	-	159	1. स्वामी स्वरूपानंद बी.एड.हुडको - 23 2. जगतगुरू बी.एड. कालेज हुडको - 16 3. शंकरा बी.एड. कालेज जुनवानी - 48 4. रूंगटा बी.एड कालेज दुर्ग - 23 5. खालसा बी.एड. कालेज दुर्ग - 45 6. सेठ बद्रीनाथ बी.एड. कालेज दुर्ग - 04	100%
						योग - 159	
2	2014-15	80	34	159	193	1. डॉ.सी.वी. रमन वि.वि. - 11 2. शास.क.एवं वि.म.वि.महा. दुर्ग - 04 3. शास. महिला महा.वि.दुर्ग - 19	94%
						योग - 34	
3	2015-16	65	43	193	236	1.शास.क.एवं वि.म.वि. दुर्ग - 24 2.शास.म.महा.वि.दुर्ग - 19	84%
						योग - 43	

9. आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा :-

आदिवासी विकासखंड मुख्यालय में विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 500 सीटर छात्रावास निर्माण करने का निर्णय लिया गया है। प्रथम चरण में 13 छात्रावास तथा द्वितीय चरण में 15 छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं।

10. वन बन्धु कल्याण योजना :-

आदिवासी विकासखंड तथा स्थानीय जनजातियों के समग्र विकास के उद्देश्य से 'वनबन्धु कल्याण योजना' प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रथम वर्ष 2014-15 में कोण्डागांव जिले के विकासखंड कोण्डागांव का चयन किया गया है। वर्ष 2014-15 में इस योजना हेतु रु. 1000.00 लाख का आबंटन भारत सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है। योजनान्तर्गत लाइवलीहुड, कौशल प्रशिक्षण, पेयजल सुविधा, स्वास्थ्य परीक्षण एवं सुविधाएँ, विद्यालयों में शैक्षणिक सुविधाएँ तथा विद्यार्थियों को कोचिंग, गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं/बच्चों को पोषण आहार, हस्तशिल्प विकास एवं दस्तावेजीकरण, विद्युतीकरण तथा अन्य सामुदायिक अधोसंरचना इत्यादि कार्य विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से जिला प्रशासन द्वारा कराए जा रहे हैं। वर्ष 2015-16 में योजनान्तर्गत अनुसूचित क्षेत्रों के निम्न साक्षरता क्षेत्र (Low Literacy Pocket) की बालिकाओं जिसमें विशेष पिछड़ी जनजाति की बालिकाएं भी शामिल हैं, को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा कुल 10 आश्रम विद्यालय स्वीकृत किये गये हैं, जो जिला मुख्यालयों में स्थापित करने का प्रस्ताव है। भारत सरकार द्वारा अब-तक रुपये राशि 1416.50 लाख की स्वीकृत की जाकर 2015-16 में 1384.52 लाख की राशि प्रदाय की गई। उक्त योजना में वर्तमान में 6 जिलों (बीजापुर, सुकमा, दन्तेवाड़ा, नारायणपुर, गरियाबंद, बलरामपुर) में कन्या आश्रम भवन का निर्माण किया जायेगा।

11. विशेष पिछड़ी जनजातियों के समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम :-

प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातियों अबुझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बैगा, बिरहोर, पण्डो एवं भुंजिया को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने तथा इनके समेकित विकास हेतु मुख्यमंत्री 11 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नानुसार योजनाएँ लागू की गई है :-

1. आवासहीन परिवारों के लिए आवास :-

इस योजना के अंतर्गत 9,105 आवासहीन परिवारों के लिए रू 1.00 लाख प्रति आवास के मान से 02 वर्षों में रू 9,105 लाख व्यय किये जायेंगे। अब तक कुल 2562 परिवारों को आवास उपलब्ध कराया जा चुका है।

2. पेयजल विहीन ग्रामों में पेयजल की उपलब्धता :-

इस योजना के अंतर्गत पेयजल विहीन 175 ग्रामों में रू 1.00 लाख प्रति हैण्डपंप के मान से प्रत्येक ग्राम में 02 हैण्डपंप स्थापित किये जायेंगे। इस पर रू 350.00 लाख के व्यय का अनुमान है। अब तक 71 ग्रामों को पेयजल युक्त किया जा चुका है।

3. विद्युत विहीन ग्रामों का विद्युतीकरण :-

इस योजना के अंतर्गत 763 विद्युत विहीन ग्रामों को विद्युतीकृत करने हेतु रू 5.00 लाख प्रति ग्राम के मान से लगभग 3815.00 लाख रू. व्यय अनुमानित है। यह लक्ष्य आगामी 02 वर्षों में पूर्ण किया जायेगा। अब तक 65 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

4. स्वास्थ्य परीक्षण :-

इस योजना के अंतर्गत स्वाथ्य परीक्षण तथा हेल्थ कार्ड/स्मार्ट कार्ड तैयार किया जायेगा। हितग्राहियों की अनुमानित संख्या 2.00 लाख से अधिक है। अब तक 32614 ग्रामों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा चुका है। लगभग 2574 स्मार्ट कार्ड एवं 6812 हेल्थ कार्ड तैयार किये जाकर वितरित किये जा चुके हैं। शेष लक्ष्य आगामी 01 वर्ष में प्राप्त किया जाना है।

5. खाद्य सुरक्षा प्रदान करना :-

इस योजना के अंतर्गत 44331 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने का लक्ष्य है। अब तक 3035 परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा चुका हैं। शेष परिवारों को आगामी 01 वर्ष में राशन कार्ड उपलब्ध करा दिया जाएगा।

6. 0 से 06 वर्ष के बच्चों तथा गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण से बचाने के लिए पोषण आहार (न्यूट्रीशियस फूड) का प्रदाय सुनिश्चित करना :-

0 से 06 वर्ष आयु के लगभग 41500 बच्चों को तथा गर्भवती/स्तनपान कराने वाली माताओं को निःशुल्क पोषण आहार उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत अब तक 29628 लाभार्थियों को पोषण आहार उपलब्ध कराया जा रहा है।

7. कौशल उन्नयन:-

इस योजना के अंतर्गत प्रति परिवार 01 व्यक्ति के मान से 44331 व्यक्तियों को प्रशिक्षण हेतु रू. 35000/- प्रति व्यक्ति के मान से आगामी 02 वर्षों में प्रशिक्षण हेतु प्रदान किया जाएगा। इस योजना पर अनुमानित रू. 15515.85 लाख व्यय होना संभावित है। अब तक 1219 व्यक्तियों को योजना का लाभ दिया जा चुका है तथा शेष व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

8. सामाजिक सुरक्षा :-

इस योजना के अंतर्गत 44,331 परिवारों को सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ दिलाने का लक्ष्य है। यह लक्ष्य आगामी 01 वर्ष में प्राप्त किया जायेगा। इसमें बीमा योजना, जनधन योजना तथा समाज कल्याण विभाग की योजनाएँ शामिल हैं। अब तक 3393 परिवार इस योजना से लाभान्वित हुए हैं।

9. वन अधिकार पत्र का वितरण :-

इस योजना के अंतर्गत 2107 ग्रामों के लगभग 1.94 लाख हितग्राही परिवारो को पात्रतानुसार वन अधिकार पत्र का वितरण किया जायेगा। अब तक 898 व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र एवं 86 सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया जा चुका हैं।

10.जाति एवं निवास प्रमाण पत्र का वितरण :-

इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के सभी 194070 व्यक्तियों को निःशुल्क जाति एवं निवास प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। यह लक्ष्य 02 वर्ष में प्राप्त किया जायेगा। अब तक योजना अंतर्गत 14428 जाति प्रमाण पत्र एवं 10920 निवास प्रमाणपत्र जारी किये जा चुके हैं।

11.सूचना जागरूकता हेतु रेडियो तथा दैनंदिन आवश्यकता हेतु छात्रा एवं कंबल प्रदाय :-

इस योजना के अंतर्गत विशेष पिछड़ी जनजाति के 44,331 परिवारों में से प्रत्येक परिवार को एक रेडियो, छाता एवं कंबल निःशुल्क उपलब्ध कराया जायेगा। अब तक 3895 रेडियो एवं 60199 कम्बल वितरित किये जा चुके है तथा शेष परिवारों को रेडियो, कम्बल एवं छाता प्रदान करने की कार्यवाही की जा रही है।

माननीय मंख्यमंत्री जी द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति नारायणपुर जिले के अबुझमाड़िया सदस्यों को कंबल का वितरण

12. खाद्यान्न सुरक्षा योजना :-

अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए संचालित प्रदेश के सभी छात्रावास-आश्रम में 'खाद्यान्न सुरक्षा योजना' लागू की गई है।

13. मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम :-

अल्पसंख्यक समुदाय के शैक्षणिक एवं समग्र विकास के लिए 'मल्टी सेक्टोरल डेव्हलपमेंट प्रोग्राम' जशपुर जिले में लागू किया गया है। योजना अंतर्गत जशपुर जिले के 05 विकासखंड (जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी एवं कांसाबेल) को अल्पसंख्यक विकासखण्ड के रूप में चयनित किया गया है।

12वीं पंचवर्षीय योजना के अवधि के दौरान चिन्हित अल्पसंख्यक बाहुल्य क्षेत्र के असंतुलन को कम करने एवं इस समुदाय के सदस्यों को बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई योजना में केन्द्रांश 75 प्रतिशत एवं राज्यांश 25 प्रतिशत है।

इस योजना के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना, कौशल विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पक्के आवास, सड़क, पेयजल, आय के अवसर उत्पन्न करने वाली योजनाओं के बीच की कमी को भरने एवं अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराने का प्रावधान है।

वर्ष 2015-16 में जिले से प्रेषित प्रस्ताव राशि रुपए 5002.95 लाख के विरूद्ध शासन द्वारा राशि रुपए 2884.79 लाख की स्वीकृति दी जाकर राशि रुपए लाख 1442.88 (केन्द्रांश राशि रुपए 1004.74 लाख एवं राज्यांश राशि रुपए 438.145 लाख) का आवंटन प्रदाय किया गया है। कलेक्टर जशपुर के निर्देशन में विभिन्न विभागों के सहयोग से योजना का संचालन किया जा रहा है।

क्रीड़ा परिसर

छत्तीसगढ़ राज्य के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति के खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा वर्तमान में 16 क्रीड़ा परिसर संचालित किये जा रहे हैं। जिनमें प्रति क्रीड़ा परिसर

100 सीट के मान से कुल 1600 सीट स्वीकृत है तथा वर्ष 2016-17 में 1400 छात्र-छात्राएं क्रीड़ा परिसरों में प्रवेशित हैं। ये क्रीड़ा परिसर उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालयों के साथ संबद्ध है। इन संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र-छात्राएँ अपनी खेल प्रतिभा को विकसित करते हुए निरन्तर अध्ययनशील हैं।

क्रीड़ा परिसर के खिलाड़ियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा, मेस, पोषण-आहार, ट्रेकसूट, खेल पोषाक जूते सहित एवं खेल सामग्री विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। प्रशिक्षण शिविरों का आयोजन तथा राज्य/राष्ट्रीय स्तर की स्पर्धाओं में भाग लेने हेतु राशि भी प्रदान की जाती है।

आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, धरमपुरा जिला-जगदलपुर

वर्ष 2011-12 से 2013-14 तक राष्ट्रीय स्तर पर 39 तथा राज्य स्तर पर 1343 कुल 1382 पदक क्रीड़ा परिसरों के खिलाड़ियों ने प्राप्त किये हैं। क्रीड़ा परिसरों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्रमांक	क्रीड़ा परिसर का नाम
1	2
1.	आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर, अम्बिकापुर
2.	आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर, धर्मजयगढ़
3.	आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर, जशपुर
4.	आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर, अम्बागढ़ चौकी (राजनांदगांव)
5.	आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर, कांकेर
6.	आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, पेंड्रा रोड (बिलासपुर)
7.	आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, डौंडी (बालोद)
8.	आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, मनेन्द्रगढ़ (कोरिया)
9.	आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, गरियाबंद
10.	आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, नारायणपुर
11.	आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, बलरामपुर
12.	आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, धरमपुरा (जगदलपुर)
13.	आदिवासी बालक क्रीड़ा परिसर, जशपुर
14.	अनुसूचित जाति कन्या क्रीड़ा परिसर, हसौद (जांजगीर-चांपा)
15.	आदिवासी कन्या क्रीड़ा परिसर, जगदलपुर
16.	अनुसूचित जाति बालक क्रीड़ा परिसर, मुंगेली

भाग – छः

आगामी सत्र के लिए प्रस्तावित नवीन योजना

नवीन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र कबीरधाम तथा नारायणपुर :-

युवा कैरियर निर्माण योजना अंतर्गत विभाग द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संवर्ग के छात्र/छात्राओं के कैरियर निर्माण को ध्यान रखते हुए बैंकिंग, रेल्वे भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा एवं अन्य परीक्षाओं के लिए रायपुर, जगदलपुर एवं बिलासपुर में परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं। प्रत्येक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र में 100 सीट्स स्वीकृत हैं 100 सीटों में 50 सीट अनुसूचित जनजाति, 30 सीट अनुसूचित जाति एवं 20 सीट अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है जिन्हें रेल्वे, बैकिंग, कर्मचारी चयन आयोग, व्यापम एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग दी जाती है।

बस्तर संभाग में वर्तमान में एक परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संचालित है। बस्तर संभाग के क्षेत्रफल व वहाँ निवासरत अनुसूचित जनजाति संवर्ग की जनसंख्या को देखते हुए तथा इन संवर्ग के अभ्यर्थियों को प्रतियोगी परीक्षा हेतु प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए नारायणपुर जिला मुख्यालय में एक 100 सीटर नवीन परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है। इसी तरह रायपुर एवं दुर्ग संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से काफी बड़ा होने के कारण कबीरधाम जिला मुख्यालय पर एक 100 सीटर परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र खोला जाना प्रस्तावित है।

प्रयास आवासीय विद्यालय रायपुर में CA/CPT/BBA एवं प्रयास अवासीय विद्यालय बिलासपुर में CLAT जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु वाणिज्य विषय प्रारंभ :-

वर्तमान में विभाग द्वारा मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत सभी संभागीय मुख्यालय पर 250-250 सीटर प्रयास आवासीय विद्यालय स्थापित है। इन विद्यालयों में विज्ञान एवं वाणिज्य विषय के विद्यार्थी कक्षा 11वीं एवं 12 वीं तक अध्ययन के साथ इंजीनियरिंग एवं मेडिकल परीक्षाओं की तैयारी करते हैं।

वर्तमान में चार्टर्ड एकाउंटेड, कंपनी सचिव, प्रबंधन, विधि व्यवसायी जैसे क्षेत्रों में भी रोजगार के असीम संभावनाएँ है, किंतु इनसे संबंधित प्रवेश परीक्षाओं की तैयार हेतु विभाग में कोई प्रावधान नहीं है जबकि छात्रों में इस ओर भी काफी रूझान है, अतः CA/CPT/BBA एवं CLAT जैसी प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रयास आवसीय विद्यालय रायपुर एवं बिलासपुर में सीट वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है।

भाग – सात

सारांश

संविधान की पाँचवीं अनुसूची में वर्णित अधिकारों एवं आदिवासी क्षेत्रों के हितों का संरक्षण विभाग का प्रमुख दायित्व है। विभाग प्रदेश की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक तथा आर्थिक उन्नति के साथ-साथ उनके सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं संवर्धन तथा सामाजिक न्याय प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही विभाग अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नति के लिए योजनाबद्ध तरीकों से अनेक योजनाओं का सतत् क्रियान्वयन कर रहा है। परिणाम स्वरूप अनेक क्षेत्रों में आशातीत सफलताएँ मिली हैं। राज्य बनने के पश्चात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग की सांस्कृतिक विरासत तथा आस्था स्थलों के संरक्षण एवं विकास को चुनौती के रूप में स्वीकार किया गया है। जनसंख्या के अनुपात में विविध समस्याओं एवं आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में इन वर्गों के सर्वांगीण विकास को मूर्त रूप प्रदान करना विभाग की मुख्य प्राथमिकता रही है। इस हेतु विभाग द्वारा अनेक अभिनव योजनाएँ संचालित की जा रही है। शैक्षणिक उत्थान के साथ स्वरोजगारमूलक योजनाओं के माध्यम से आर्थिक आत्म निर्भरता तथा सामाजिक समरसता स्थापित करना विभाग का लक्ष्य है। राज्य के आदिवासी अंचलों के शैक्षिक विकास की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किए गए हैं। विशिष्ठ संस्थाओं के रूप में क्रीडा परिसर एवं एकलव्य जैसे आवासीय विद्यालय के संचालन से इन वर्गों के छात्र-छात्राओं की प्रतिभाओं को निखारा जा रहा है। वहीं राज्य मुख्यालय पर 'प्रयास' जैसी संस्था के संचालन से नक्सल प्रभावित जिलों के प्रतिभावान विद्यार्थियों को बेहतर कैरियर निर्माण हेतु नए अवसर खुले हैं। प्रयास विद्यालय के छात्रों की उल्लेखनीय उपलब्धियों ने बस्तर तथा सरगुजा जैसे प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण में स्थित जनजातीय बाहुल्य क्षेत्रों के शैक्षणिक विकास को नई दिशा प्रदान की है तथा इन दूरस्थ जनजातीय अंचलों के विद्यार्थियों को उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के प्रति विशेष जागृति उत्पन्न की है। रायपुर स्थित प्रयास आवासीय विद्यालय की सफलता को देखते हुए विभाग द्वारा संभागीय मुख्यालय जगदलपुर, अम्बिकापुर, दुर्ग और बिलासपुर तथा जिला मुख्यालय कांकेर में भी '**प्रयास**' आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। विभाग अल्पसंख्यक समुदायों के विद्यार्थियों के शैक्षणिक उत्थान में सहयोग हेतु अनेक योजनाएँ संचालित कर रहा है।

आदिवासी उपयोजना के माध्यम से भी विभाग आदिवासी क्षेत्रों के विकास के लिए कटिबद्ध है। इन क्षेत्र में आदिवासियों के व्यापक हित में एकीकृत आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरणों के माध्यम से जनजातियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इनमें स्थानीय आदिवासी जनप्रतिनिधि भी नामांकित किए गए है ताकि वे क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यक्रमों की प्राथमिकताओं का जनजाति समुदाय के हित में निर्धारण कर सकें। जिससे विभिन्न विकास विभागों के उपयोजना कार्यक्रमों के अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकें। आदिवासी उपयोजना क्षेत्रों तथा आदिवासी बाहुल्य जनसंख्या वाले क्षेत्रों में स्थानीय विकास व अधोसंरचना निर्माण के कार्यों को गतिशील करने के लिए राज्य में तीन प्राधिकरण भी गठित किए गए हैं, जिसके माध्यम से स्थानीय विकास की आवश्यकताओं को पूर्ण

करने हेतु अनुकरणीय प्रयास हुए हैं। प्रदेश के वर्तमान औद्योगिक/आर्थिक परिदृश्य के अनुक्रम में विभाग की ओर से छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एव विकास निगम द्वारा अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के युवाओं को रोजगार मूलक कौशल उन्नयन का प्रशिक्षण संबंधित क्षेत्र में कार्यरत विशेष संस्थाओं के माध्यम से प्रदान कर उन्हें रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है तथा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी स्वरोजगार मूलक योजनाएं संचालित कर रहा है जिसमें वित्तीय सहायता भी उपलबध कराई जाती है।

विकास की असीम संभावना से युक्त छत्तीसगढ़ राज्य को विकास पथ पर अग्रसर करने हेतु आदिवासी हित में बेहतर कार्य करने की प्रतिबद्धता एवं प्रबल इच्छाशक्ति से अभिप्रेरित होकर और पिछले अनुभवों से सबक लेते हुए नीतियों, योजनाओं एवं तौर-तरीकों में परिवर्तन/परिमार्जन का भी प्रयास किया जा रहा है। आदिवासी विकास परियोजनाओं, माडा तथा अभिकरणों की स्वशासी समितियों तथा जनजाति सलाहकार परिषद् के मार्गदर्शन में अभिनव योजनाओं का निर्माण एवं संचालन इस विभाग द्वारा किए गए नवाचार के प्रमाण हैं। यह ही नहीं अब शिक्षा व अन्य क्षेत्रों में आदिवासी एवं अनुसूचित जाति समुदाय की विशिष्ट उपलब्धियों को रेखांकित किया जाने लगा है। विकास की इस यात्रा में हम चुनौतियों को सामना करते हुए निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं।